हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले

हि0 प्र0 कोली कल्याण बोर्ड

की

प्रथम बैठक

की

कार्यवाही

दिनांकः— 09 फरवरी, 2016

समय :— दोपहर 12:00 बजे

स्थानः— अर्मजडेल समेलन कक्ष सचिवालय, शिमला—2

हिमाचल प्रदेश कोली कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक जो दिनांक 09 फरवरी, 2016 को दोपहर 12:00 बजे, सम्मेलन कक्ष, हि0 प्र0 सचिवालय शिमला में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की सूची **अनुबन्ध "क "** पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) हि0 प्र0 ने माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं अध्यक्ष कोली कल्याण बोर्ड, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय का अलग से कोली कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए धन्यवाद किया तथा अपनी व्यस्तता के बावजूद बैठक निर्धारित करने तथा अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस बैठक में पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन किया। उन्होने कहा कि प्रदेश में कोली जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है जो प्रदेश की कुल आबादी का 7.28 प्रतिशत है। उन्होनें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति से सम्बन्धित समुदायों के लिये प्रदेश में चलाई जा रही विशेष योजनाओं की जानकारी प्रदान की तथा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बैठक में अपने समुदाय की विशेष समस्याओं को उजागर करते हुए उनके विकास एवं उत्थान के लिये अपने सुझावों एवं विचारों से अवगत करवायें ताकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के कुशल नेतृत्व व मार्ग–दर्शन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

इसके पश्चात माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी मन्त्रीगण, समस्त सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों का इस बैठक में पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन किया उन्होंने कहा कि सरकार का अलग से कोली कल्याण बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में इस समुदाय की समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करना है। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति की कुल आबादी 17,29,252 है जिनमें से 4,99,473 व्यक्ति कोली समुदाय से सम्बन्धित है। वर्तमान में प्रदेश में कोली समुदाय सहित 56 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश का सन्तुलित एवं समग्र विकास तभी सम्भव हो सकता है, जब प्रदेश में सभी समुदायों तथा क्षेत्रों का सम्पूर्ण और सन्तुलित विकास हो। सरकार का प्रयास है कि सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के बेहतर और समान अवसर मिल सकें। सभी समुदायों एवं वर्गों के कल्याण और विकास की भावना सदैव सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। उन्होंने सभी

को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल सभी के जीवन में नई उमंगों व नई तरंगों का संचार करें और सभी नित नई ऊँचाईयाँ छुए यही मेरी कामना है।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई तथा बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा हुईः–

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें:

1. **प्रदेश में जब तक कोली जाति आगे नहीं आ जाती तब तक इस जाति को इसकी जनसंख्या के आधार पर समान अनुपाती आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।**

(संतोष कुमार सन्जौली, शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में सेवाओं में किसी जाति विशेष को आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश में कोली समाज के लोग जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित है अनुसूचित जाति वर्ग को प्रदान किए जा रहे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

2. **प्रदेश में संविधान के 85 वें संशोधन नियम 2001, को वर्ष 2007 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके कार्यकाल में उक्त सविधान प्रदेश में लागू हो गया था परन्तु सरकार बदलने पर भाजपा सरकार ने इस अधिसूचना को वापिस ले लिया था। जबकि केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश के पड़ौसी सभी राज्यों में लागू है। इसे लागू न करने के क्या कारण रहे हैं। इसे लागू न होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारी समय अवधि में लाभान्वित न हो कर बिना किसी लाभ के सेवानिवृत हो रहे हैं। प्रदेश में जब इसे लागू करे तो इसमें कोली जाति को इसकी जनसंख्या के समान अनुपाती आरक्षण दिया जाए तथा समाज मांग करता है कि उक्त संविधान संशोधन कों वर्ष 2007 की तर्ज पर पुनः लागू किया जाए।**

(उतम सिंह कश्यप शिमला / पलक राम कश्यप सोलन / संतोष कुमार संजौली, शिमला/ आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बैठक बताया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य सरकार ने 85 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के पदाधारियों को राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान न करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सरकार द्वारा राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदाधारियों के कुल प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाले आंकड़ो और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर लिया गया है। राज्य सरकार ने 85 वें संविधान संशोधन के मामले में सम्बन्धित कर्मचारी संघों के सुझावों पर विचार करने बारे मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है। इस समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकार के अधीन सेवाओं तथा सरकार के अधीन निगमों/बोर्डों में सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को पदोन्नति में क्रमशः 15 व 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके दृष्टिगत इन वर्गों के लोग पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ ले रहे है।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सूचित किया गया कि आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर सही तरीके से लागु नहीं किया जा रहा है। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को शीघ्र अपनी रिपार्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

3. **Officers belonging to SC categories should be posted on key and important posts like Secretaries, Directors and Managing Directors in proportion to their population.**

(Sh. Kashmir Chand, Shimla)

In this regard, it has been informed by the Department of Personnel (A-I) that the IAS officer of H.P. cadre presently working under the State Government are posted on key post like Secretaries of important Departments, Managing Directors/Directors and Deputy Commissioner/ADC. All officers belonging to SC category have been posted appropriately.

मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि कई बार ऐसा हुआ है कि इन प्रमुख पदों पर एक भी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्ति की तैनाती नही की जाती है विशेषकर जिलों में तैनात उपायुक्त के पद पर कई बार एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं होता है। मद पर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए कि सम्बन्धित विभाग माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का भविष्य में ध्यान रखे। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

4. **सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन/ दैनिक वेतन भोगी कामगारों के समयवद्ध नियमितिकरण के सम्बन्ध ठोस नीति बनाई जानी चाहिए क्योंकि देखने में आया है कि ये समाज के अति पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित होते है, तथा10 से 20 साल तक सेवा करने पर भी नियमित नहीं हो रहे है।**

(उतम सिंह कश्यप, शिमला)

मद पर चर्चा के दौरान अवगत करवाया कि सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन/दैनिक वेतन भोगी कामगारों का नियमितिकरण हो रहा है, यदि स्वीकृत पद उपलब्ध/खाली न हो तभी दिक्कत होती है। **अतः चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

5. **इस समाज के लोगों को सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों उद्योग/ निगमों में नौकरियों में कोटा दिया जाये। आरक्षण रोस्टर के नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। सामान्य एवं प्रतियोगिता आधार पर भर्ती आरक्षित प्रत्याशियों को आरक्षण प्रतिशतता में न माना जाए।**

(मदनलाल बसरा, ऊना /संतोष कुमार सन्जौली, शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बैठक बताया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना राज्य सरकार के अधीन सेवाओं तथा सरकार के अधीन निगमों/बोर्ड़ों में भर्ती द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी-I व श्रेणी-II के पदों/सेवाओं में 15 प्रतिशत तथा श्रेणी–III व IV में 22 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है जबकि पदोन्नति में इस वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में कोली समाज के लोग जो अनुसूचित जाति में सम्मलित है भी इस आरक्षण का लाभ उठा रहें हैं।

राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केंन्द्र सरकार में प्रचलित नीति / निर्देशों / संवैधानिक व्यवस्था का अनुसरण करती है। अतः निजी संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने बारे केंन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के उपरान्त राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही सम्भव होगी।

राज्य सरकार ने सेवाओं में आरक्षण बारे पोस्ट बेसड रोस्टर प्रणाली को अपनाया है जिसके अर्न्तगत सभी आरक्षित वर्गों के लिए रोस्टर बिन्दु निर्धारित किए हैं जिसके दृष्टिगत सभी आरक्षित वर्गों को हर संवर्ग में आवंटित किए गए रोस्टर बिंदुओं के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी जो अपनी योग्यता / उत्कृष्ठता के आधार पर (बिना आरक्षण का लाभ लिए) चुने जाते हैं की गणना नियुक्ति के प्रयोजन हेतु आरक्षित कोटे में नहीं की जाती जबकि उन्हें आरक्षित कोटे के अधिकता में से अनारक्षित पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्गों के अभ्यार्थी अनारक्षित पदो के विरूद्ध भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वह उस पद हेतु अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता हो।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित मदें:

6. **Members from Koli Community be nominated to HP Public Service Commission and Sub- ordinate Staff Selection Board.**

Experienced Bureaucrats from Administrative Services, Technocrats, Intellectuals, and Judiciary personnel from Koli Community are available in the State. It is proposed that in view the Koli caste being dominant amongst the SCs in the State due representation in HP Public Service Commission and Sub-ordinate Staff Selection Board be given.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

7. **Officers/people belonging to SC category should be made members of various recruiting agencies/committees like HP Public Service Commission.**

Subouridnate Service Slection Board and other departmental recruitment committees as a standing/permanent arrangement, as per instructions and policy of the state government it self.

(Sh. Kashmir Chand, Shimla)

मदों पर चर्चा के दौरान अवगत करवायागया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्य को मनोनीत कर दिया गया है। **अतः चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

8. **प्रदेश में विकास कार्य के लिए राज्यस्तर, जिलास्तर, खण्डस्तर, व पंचायतस्तर में गठित कमेटियों में इस जाति की भागीदारी को प्रतिशतता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।**

(श्री संतोष कुमार सन्जौली, शिमला)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए जिला स्तर पर कमेटियॉ गठित किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का कोई Role नहीं है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें:

9. **प्राथमिक/माध्यमिक पाठशाला मोहकिया–खटोला तहसील नाहन सिरमौर तथा सलानी कटोला तहसील नाहन का दर्जा स्तरोन्नत बारे।**

(प्रो0 बलबीर सिंह नाहन,सिरमौर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बैठक बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार माध्यमिक पाठशाला सलानी कटोला को स्तरोन्नत करने बारे उप–शिक्षा निदेशक, जिला सिरमौर से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणोपरांन्त निदेशालय के पत्र संख्या EDN-HE (6)/ 4-1/2015-(Prop. To Govt.) दिनांक 16.04.2015 द्वारा सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

प्राथमिक पाठशाला सलानी कटोला के 8वीं कक्षा में विद्यार्थीयों की संख्या 20 तथा दूरी 4 कि0मी0 है इसलिए यह विभागीय मापदण्ड पूरे नहीं करता है। माध्यमिक पाठशाला मोहकिया–खटोला बारे कोई भी मामला इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

बैठक में चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(शिक्षा) द्वारा अवगत करवाया कि माध्यमिक पाठशाला सलानी कटोला को स्तरोन्नत करने बारे मामले में परीक्षणोपरांन्त यदि माप–दण्डों के अनुरूप सम्भव होगा तो कर दिया जायेगा। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

10. **(i) विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा पी0टी0ए0 के माध्यम से जो भर्ती की गई है उन नियुक्तियों में आरक्षण नीति को लागू किया जाये। इस में जो आरक्षण का बैकलॉग बनता है इसमें कोली जाति को जनसंख्या के समान अनुपाती आरक्षण से भरा जाए।**

ii) जिला मण्ड़ी के तहसील करसोग में विद्यालय प्रबन्धन समिति के तहत रखे गए अध्यापकों में अनुसूचित जाति वर्ग से कोई भी अध्यापक नहीं रखे गए और न ही इससे पहले जो डी0पी0ई0 व पी0ई0टी0 पी0टी0ए0, आधार पर रखे गये थें उस में भी इस समुदाय के बच्चों को प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया है । इसके अतिरिक्त इस तहसील से वर्ष 2001–02 में तीन लड़कियों ने महाराष्ट्र व कुरूक्षेत्र से तीन वर्ष का लाईब्रेरी साईंस (डीलिव) में कोर्स किया है इसके बावजूद भी अन्य तहसीलों से नियुक्तियॉ की गई है।

(प्रो0 बलबीर सिहं ,सिरमौर/श्री संतोष कुमार शिमला/श्री मोलक राम चौहान करसोग, मण्ड़ी)

अतिरिक्त मु,ख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता) ने सूचित किया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार एस0एम0सी0 व पी0टी0ए0 में जो नियुक्तियॉ प्रवक्ता/ पी0जी0टी0/डी0पी0ई0 के पद पर की गई हैं उनमे कोली जाति को जनसंख्या के समान अनुपाती आरक्षण से भरा जाना संभव नहीं है, क्योंकि उक्त नियुक्तियॉ पाठशाला स्तर पर की गई हैं तथा प्रवक्ता पी0जी0टी0/डी0पी0ई0 के पद राज्य स्तर के हाने के कारण पाठशाला स्तर पर आरक्षण लगाना सम्भव नहीं है। एस0एम0सी0 द्वारा केवल शिक्षकों के ही पदों को भरा जा रहा है। अतः लाईब्रेरी सहायकों के पदों को एस0एम0सी0 द्वारा नहीं भरा जा सकता।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

11. **सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्यांतर भोजन योजना हर वर्ग के लिए बहुत उपयुक्त है परन्तु इस योजना से स्कूल की प्रथम सीढ़ी में ही बच्चों को जाति–पाति का आभास हो रहा है। इस सम्बन्ध में स्कूल अध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं।**

(श्री पलक राम कश्यप)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर–सरकारी सदस्य द्वारा यह भी सूचित किया गया कि प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी भोजन परोस्ते समय जाति के आधार पर भेद–भाव किया जाता है। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रकार की शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि समस्त स्कूलों को अनुसूचित जाति,जन जाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, तथा नियम 1995 की प्रतियां कड़ाई से अनुपालना हेतु उपलब्ध करवाई जाए तथा दोषी व्यक्तियों विरूद्व नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। बच्चों को भोजन परोस्ते समय रोल नम्बर के हिसाब से बिठाया जाएगा तथा इन आदेशें की अवहेलना करने पर उचित दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी प्रकार की कार्यवाही महिला एवं बाल विकास भी अमल में लाएगा तथा दोषियों को सजा दी जाए। इस प्रकार के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाऐंगें। उन्होने उपस्थित गैर–सरकारी सदस्यों से भी इस प्रकार के तथ्य सम्बन्धित विभागों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

युवा सेवाऐं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित मदें:

12. Conversion of existing Play Ground at Bharyal Village into Mini Stadium in the name of Sepoy Bharat Ram, a Martyr of 1962-China War.

Sepoy Bharat Ram from Koli community and a resident of village Bharyal in Gram Panchayat Totu (Majthai), Under Shimla Grameen Constitueny was martyred in 1962 Indo-China War. A play ground in Bharyal village was constructed by local residents to be developed and expanded as Mini Stadium to promote sports activities in the Panchayat, and also to organize the Memorial Mela in a better manner.

(Uttam Singh Kashyap Shimla)

अतिरिक्त मु,ख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता) ने सूचित किया कि युवा सेवाऐं एवं खेल विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, शिमला द्वारा निरीक्षण करने उपरांन्त पाया गया कि ग्राम पंचायत टूटू में बने खेल मैदान का विकास कर मिनी स्टेडियम बनाए जाने हेतु पर्याप्त भूमि है तथा यह भूमि वन विभाग के नाम पर है। जिस बारे स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान को उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु जमीन की जमाबन्दी, ततीमा पर्चा तथा उक्त निर्माण आंक्कलन व प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने के बारे कहा गया था परन्तु अभी तक कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए । दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त ही कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त शिमला को भूमि के दस्तावेजों बारे आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित मदें:

13. कोली समाज की कितनी आबादी है कितनें युवा बेरोजगार है कितनें पढ़े लिखे हैं, कितनों को रोजगार प्राप्त है तथा अन्य वर्ग के उत्थान की बात भी सरकार साथ–साथ चलाऐं।

(श्री मदनलाल बसरा,ऊना)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने सूचित किया कि श्रम एवं रोजगार विभाग से प्राप्त सूचनानुसार रोजगार सहायता हेतु इच्छुक आवेदकों का पंजीकरण रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है तथा इस विभाग के पास अनुसूचित जाति के आवेदकों का समेकित आंकडा ही होता है, पृथक–पृथक जाति विशेष आंकडा नहीं होता है। दिनांक 31–12–2014 तक प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कुल 9,91,033 आवेदक रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत थे जिनमें अनुसूचित जाति के 2,12,304 आवेदक थे।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अवगत करवाया की दिसम्बर, 2015 तक 8,8,000 आवेदक रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत हुए है जिनमें 1,85,000 अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी है। **अतः चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें:

14. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरगल में डॉक्टर का एक ही पद स्वीकृत है जिन्हें कई बार कण्डाघाट या सायरी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। जिनकी प्रतिनियुक्ति तुरन्त समाप्त की जाए और भविष्य में भी यहाँ से स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर न भेजा जाए।**

(श्री पलक राम कश्यप,सोलन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, (स्वास्थ्य) ने बैठक में अवगत करवाया कि कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पुनः वापिस नियुक्त कर दिया गया है। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

तकनीकी शिक्षा/शहरी विकास विभाग/उद्योग विभाग से सम्बन्धित मदें:

15. **सरकारी संस्थानों में अपनी रोजी कमाने बावत होम संस्था एच.पी.एम.सी. के साथ व स्टेशनरी शॉपस, टी स्टाल आदि सरकारी संस्थानों में बूथ का प्रावधान कर ''बूथ, कोली समाज के बेरोजारों को लीज पर दें ताकि उनका विकास हो सके।**

(श्री मदनलाल बसरा,ऊना)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बैठक में अवगत करवाया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे संस्थानों में सरकार द्वारा किसी भी वर्ग जाति एवं समुदाय के लिए इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है।

सम्बन्धित विभागों के साथ मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

16. **Duration of various entrepreneur training courses for youth belonging to reserved categories should be longer than the present duration so as to train and instill a sense of self confidence in them to compete in the open market.**

(Sh.Kashmir Chand)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कोर्सों में अवधि का बढ़ाया जाना प्रशिक्षण कोर्स के प्रकार पर निर्भर करता है जो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा ही तय किया जाता है। सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ता 1000/– रूपये व विकलांग अभ्यार्थियों के लिए 1500/– रूपये प्रति माह की दर से दो साल तक दिया जाता है। **अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

उद्योग विभाग से सम्बन्धित मदें:

17. **Industrialists / Entrepreneurs belonging to these categories should be encouraged with special concessions so as to compete with the traditional and well established industrialists and entrepreneurs in the field of sale, marketing, research and quality etc.**
(Sh.Kashmir Chand)

मद पर बैठक में चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया कि उद्योग विभाग में इन्सैन्टिव रूल्ज़, 2004 (Incentive Rules, 2004) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विकलांगजन के लिए ब्याज अनुदान व अन्य अनुदान का प्रावधान है। **अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

जनगणना विभाग से सम्बन्धित मदें:

18. **हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी में कोली जाति का प्रतिशत क्या है।**
(श्री संतोष कुमार,सन्जोली शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा सूचित किया गया कि जनगणना विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी– 68,64,602 तथा कोली जाति की कुल आबादी 4,99,473 है तथा कोली जाति की प्रतिशतता 7.28% है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

हि0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद से सम्बन्धित मदें:

19. **ग्राम शामरा की हरीजन बस्तियॉं गुजरेट, भुआं, थाकन, कथाड़ तथा शान्ति ग्राम की जनता को पिछले कई वर्षों से विद्युत की कम सप्लाई के कारण अन्धेरे से जूझना पड़ रहा है कई बार रात के समय तो विद्युत सप्लाई इतनी कम होती है कि मिट्टी तेल के दीपक जलाने पड़ते हैं। कम रोशनी के कारण पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते।**
(श्री जालम सिंह, संगडाह, सिरमौर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा सूचित किया गया कि विद्युत विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम शामरा की हरिजन बस्तियॉं गुजरेट, भूआं, थाकन, कथाड़ तथा शान्ति ग्राम विद्युत उप–मण्डल चारना के अर्न्तगत आते हैं। इन गांव को वर्तमान में लगभग 1.00 किलो मीटर लम्बी सिंगल फेस लाईन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसे नजदीक के 25 के0बी0ए0 के आई एण्ड पी0एच0 ट्रांसफार्मर जोकि गांव से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है से जोड़कर सिंगल फेस लाईन को 3 फेस लाईन

में सम्बर्धन करने के लिए प्राक्कलन मंजूर किया जा रहा है। जिसके पूरा होने पर गांव की कम बोल्टेज की समस्या हल हो जायेगी।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

20. **ग्राम पंचायत हिन्नर के गौड़ा में निर्मित 132 के0 वी0 सब स्टेशन से ग्राम पंचायत हिन्नर के सभी ग्रामों को तथा ग्राम पंचायत दंधील के गांव कड़ोग, छोब, दोची,रेह–काटल को इसी सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति की जाए क्योंकि कण्डाघाट वाया चायल से आने वाली बिजली की लाईन खराब मौसम में हमेशा बाधित रहती है।**

21. **ग्राम पंचायत दंघील के गांव कड़ोल व बाग–भुईरा (बरड़ कलौनी) को थ्री फेस बिजली की आपूर्ति की जाए क्योंकि वहॉ पर बिजली की लो वोल्टेज रहती है।**

(श्री पलक राम कश्यप)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बताया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायत हिन्नर तथा ग्राम पंचायत दंधील के सभी गांवो को विद्युत की आपूर्ति 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र कण्डाघाट से की जा रही है । अत्याधिक वर्षा व प्राकृतिक आपदा के दौरान ही यह आपूर्ति वाधित होती है तथा आपातकालीन स्थिति होने पर 11 के0वी0 लाईन जोकि टकराण तक बिछी है, से इलाके को विद्युत आपूर्ति की जाती है। चायल में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित योजना विचाराधीन है तथा इसकी स्वीकृति के पश्चात चायल में 33/11 के0वी0 का उपकेन्द्र स्थापित होने पर विद्युत आपूर्ति की समस्या नहीं रहेगी । ग्राम पंचायत हिन्नर तथा ग्राम पंचायत दंधील के सभी गांवों को 132 के0वी0 गौड़ा उपकेन्द्र में लोड़ उपलब्ध न होने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकती । जैसे ही इस उपकेन्द्र की क्षमता बढाई जाएगी। इन गांवो को इससे जोड़ दिया जाएगा।

इस के अतिरिक्त ग्राम पंचायत दंधील के गांव कड़ोल व बाग–भुईरा (बरड़ कलौनी) में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु एक फेस लाईन को थ्री फेस लाईन में बदलने के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है तथा आगामी तीन माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें:

22. **ग्राम पंचायत करालश तहसील रोहडू में प्रधान पद महिला हेतु आरक्षित है अतः माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस बार ग्राम पंचायत करालश में प्रधान पद पुरूष के लिए आरक्षित होना अति अवश्यक है।**

(श्री जगत राम नेगी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने बताया कि पंचायती विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार पंचायत पदाधिकारियों का आरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम तथा इसके

अन्तर्गत अधिसूचित निर्वाचन नियम 1994 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत करालश के प्रधान का पद जिलाधीश द्वारा उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षित किया जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

23. वर्ष 2010 के दौरान पूर्व परिवहन मन्त्री श्री महेन्द्र सिंह जी ने अपने निजी निधि से महिला भवन शान्ति–ग्राम के निर्माण हेतु मु0 1.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी परन्तु यह राशि इस कार्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त न होने के कारण इस भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका जबकि इस भवन के निर्माण हेतु लगभग 10.00 लाख रूपये खर्च होने की सम्भावना है। यह महिला मण्डल भवन अनुसूचित जाति बस्ती शान्ति –ग्राम के गांव शामरा जिला सिरमौर के अर्न्तगत आता है। जहॉ पर इसके निर्माण हेतु 2 बिस्वा भूमि भी उपलब्ध है।

(श्री जालम सिंह,संगडाह सिरमौर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विभाग द्वारा महिला मण्डल भवन बनाने हेतु किसी प्रकार की राशि का प्रावधान नहीं है। **माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

24. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव के लिए CHANCE SEQUENCE SYSTEM के आधार पर क्रमवार को लागू किया जाए न कि वर्तमान आरक्षण प्रणाली के आधार पर।''उदाहरण'':–

CURRENT RESERVETIION SYSTEM

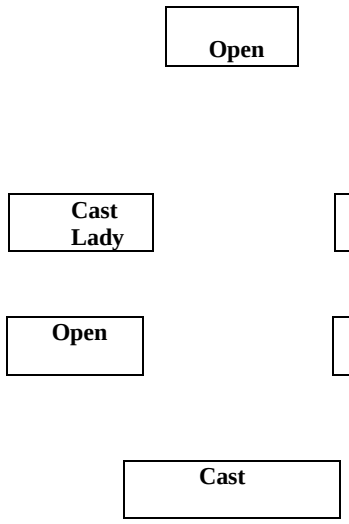

EQUAL OPPORTUNITY SYSTEM

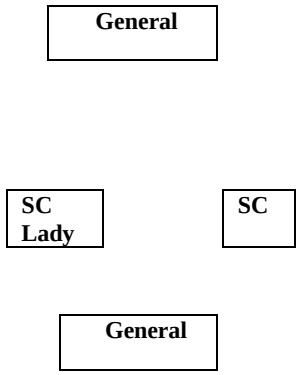

(श्री संतोष कुमार,संजौली शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचनानुसार पंचायत प्रतिनिधित्व में आरक्षण 73 वें संविधान संशोधन व हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8.78 और 89 के प्रावधानों अनुसार किया जाता है। पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 28 के प्रावधान अनुसार पंचायतों में स्थानों का आरक्षण चक्राक्रम अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात करने का प्रावधान है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधानों अनुसार सभी श्रेणी / वर्ग को पंचायतों में विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान होता है। अतः उक्त प्रवधानों अनुसार CHANCE SEQUENCE SYSTEM के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

25. हम सरकार के अभारी हैं क्योंकि सरकार ने जो गरीब / बी0पी0एल0 परिवारों के लिए गृह निर्माण हेतु गॉधी कुटीर, इन्दिरा आवास, राजीव गांधी आवास योजना शुरू की जा रही है जिससे काफी लोग लाभान्वित भी हुए हैं कृपया इस राशि को बढा कर कृतार्थ करें।

(श्री हेमन्त दास पन्थी,कुल्लू)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचनानुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीब/बी0पी0एल0 परिवारों के लिए गांधी कुटीर, इन्दिरा आवास योजना व राजीव आवास योजना संचालित की जा रही है। इन्दिरा आवास योजना Sharing स्कीम है जिसके लिए 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा व्यय की जाती है। इस योजना में देय धनराशि में वृद्धि केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही की जाती है। अप्रैल 2013 से इस योजना के अर्न्तगत देय धनराशि में भारत सरकार द्वारा वृद्धि कर मु0 48500/– से बढाकर मु0 75,000/–रूपये कर दी गई है। वर्तमान में योजना के अर्न्तगत मु0 75,000/– रूपये प्रति लाभार्थी दी जा रही है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें:

26. Lift Irrigation Scheme/Gravitation Irrigation Scheme should be sanctioned for Village Dhakwali, Ganesh ka Bag and Bheriwala, GP Nahan, Distt. Sirmour as these villages are inhabitated by SC & OBC classes' people (100%)

(Sh.Kashmir Chand)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि सिंचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार गांव ढाकवाली,गणेश का बाग और भेड़ीवाली ग्राम पंचायत नाहन में स्थित है। इन गांवों की लगभग 35 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है इन गांव को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मारकण्डा नदी से पानी लिफ्ट करना पड़ेगा। इस योजना को बनाने के लिए लगभग 85.00 लाख रूपये की आवश्यकता पड़ेगी। धन राशि का प्रावधान होने उपरान्त यह कार्य किया जा सकेगा वर्तमान में इस कार्य के लिए विभाग के पास कोई भी बजट नहीं है।

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हि0 प्र0 सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में प्रावधान कर दिया जाएगा। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

27. ग्राम पंचायत पनेश के ग्राम पनेश को लगभग 28–29 वर्षों से उठाऊ कृषि सिंचाई योजना से जोड़ा है। अतः उक्त राजस्व गांव का उप गांव चम्बा भी इस सिंचाई योजना से जुड़ने के लिए कई वषों से प्रयासरत है जिस संदर्भ सम्बन्धित विभाग को गांव वासियों ने पंचायत के माध्यम प्रस्ताव भेज दिया गया है। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता दी जाये।

(श्री दयानन्द कश्यप, शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम पंचायत गलोट व कृषि विकास संघ गलोट द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है। अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य) विभाग ने कहा की मामले का परीक्षण करवा लेंगें तथा कार्य कर दिया जायेगा। विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियन्ता इस कार्य को व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

28. ग्राम पंचायत सलोगड़ा के अर्न्तगत ग्राम हरठ, गुठाहॅ, बलाटी, बेल, ढलैहण, सहेवला, शकार बावरा, गरयाणी धार और ठुंगड़ी के किसानों को सिंचाई उठाऊ योजना सम्बन्धित सरकार से पिछले कई सालों से आग्रह जारी है परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई कृपया सम्बन्धित विभाग को अवश्यक निर्देश जारी किए जाऐं।

(श्री आनन्द कुमार चौहान, सोलन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करवाया गया है तथा योजना बनाने के लिये स्त्रोत में पर्याप्त मात्रा मे पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस स्त्रोत से पहले ही 3 योजनायें बनी है तथा नई योजना बनाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में इस स्त्रोत में 223.704 लीटर प्रति सैकिण्ड तथा 1,93,28,052 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध है तथा तीन सिंचाई योजनायें पहले से ही निर्मित है जिनके नाम निम्न प्रकार से हैः–

i) सिंचाई योजना फसकना प्राक्कलन में निर्धारित पानी की उपलब्धता 1181952 लीटर प्रतिदिन।
ii) सिंचाई योजना, गण की सेर प्राक्कलन में निर्धारित पानी की उपलब्धता 723168 लीटर प्रतिदिन ।
iii) पेयजल योजना अश्वनी खड्ड से सोलन प्राक्कलन में निर्धारित पानी की उपलब्धता 4015000 लीटर प्रतिदिन ।

नई सिंचाई योजना 153.61 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये बनाई जानी प्रस्तावित है जिसके लिये 7617866 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है, परन्तु स्त्रोत में यदि 70 प्रतिशत पानी लिफ्ट करना हो तो इस योजना का निर्माण करना सम्भव नहीं है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

29. **जिला सोलन के ग्राम हरठ में एक, गुठाहॅ में दो, बेल में एक, तथा राजकीय पाठशाला में एक हैंडपम्प लगवाने हेतु माननीय (सा0 न्याय एवं अधिकारिता) मन्त्री महोदय द्वारा विभाग को निर्देश जारी किए हैं परन्तु दो वर्षो से एक भी हैंडपम्प नहीं लगा है।**

(श्री आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार हैंडपम्प लगवाने के लिये भू–जल विज्ञानी द्वारा स्थान का निरीक्षण करवाया जा चुका है तथा शीघ्र ही हैंडपम्प लगा दिये जायेंगे।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें:

30. **Non-Providing of Funds under SC Sub-Plan for providing cemented surface and retaining walls in 300 Meter long Ambulance Road from Bharyal Bus Stand to Bharyal Village, GP Totu(Majthai) in Shimla Grameen Constituency. Ninety percent beneficiaries of the above cited ambulance road are from Koli Community only. Due to steep grade of this road, problem is being faced in plying vehicles on the small ambulance road. Provision of funds for providing cemented surface on this road needs to be made in the Supplementary Budget for the current financial year under SC SUB-PLAN Budget.**

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस सड़क में 100 मी. तक tarring तथा drain का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य भी शीघ्र अतिाशीघ्र कर दिया जायेगा।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा सुचित किया गया कि विभग द्वारा उपलब्ध करवाई गई यह सूचना सही नहीं है। क्योंकि इस सड़क पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जिस सड़क का विवरण उत्तर में दिया गया है वह अन्य सड़क है। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए कि जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है उसे चैक कर लें तथा सही सुचना उपलब्ध करवाई जाए। सम्बन्धित अधिक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मामले की विस्तृत जांच कर आगामी कार्यवाही अमल में लाऐं।

(लोक निर्माण विभाग)

31. तत्तापानी–शाकरा सड़क महिला मण्डल रण्डौल से हरीजन बस्ती की ओर जाती है जिसकी लम्बाई 600 मीटर है। यह सड़क जिस अनुसूचित जाति बस्ती की ओर जाती है उसमें लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या कोली समुदाय की है। इस सड़क का निर्माण कार्य अभी तक अधुरा है । अतः ए।

(श्री कुन्दन लाल करसोग,मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार ततापानी–शाकरा सड़क से महिला मण्डल रण्डोल से हरिजन बस्ती तक लगभग 550 मीटर जीप योग्य सड़क का निर्माण पंचायत/ ब्लॉक द्वारा किया गया है। वर्ष 2012–13 में इस सड़क के निर्माण के लिए 50,000/– रू0 का बजट प्रावधान था जिस पर 240 मीटर सोलिंग की जा चुकी है तथा इस सड़क पर छोटे वाहन सुचारू रूप से चल रहे है। इस सड़क के दोनों ओर लोगों की निजी भूमि आती है। कई स्थानों पर दोनों ओर मकान बने हुए हैं। यदि निजी भूमि मालिक भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सड़क को चौड़ा किया जा सकता है। जिसके लिए लगभग 8.00 लाख रू0 की लागत आएगी।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग मामले में पुनः परीक्षण करें तथा उपायुक्त मण्डी भी इस मामले को देंखेंगे तथा इस कार्य को करवाना सुनिश्चित करेंगें।

(लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त मण्डी)

32. Link road from Khajurna to Vill. Ganesh ka Bag and Dhakwali in GP Nahans, Distt. Sirmour should be constructed on priority basis as the said road is linking the village having 100% population of SC and OBC.

(श्री कश्मीर चन्द, शिमला)

As per information provided by the concerned Department the work was awarded to M/s Kundlas Builders Pvt.ltd. R/o Billawali Lubana W.No. 9, P.O. & Tehsil Baddi Distt. Solan, vide Executive Engineer Nahan letter No. 3111-19 dated 27.09.2013 for amounting to Rs. 2,33,69,359/- only with stipulated time completion of 510 days. The forest clearance for diversion of 2.06 hectatare land in favour of HPPWD and permission to fell 29 trees has been accorded by M.O.E.F Northern region vide letter dated 22.06.2012. Accordingly 29 No. trees were felled by the forest authorities and the contractor has started the work under PMGSY.The contractor has so far party completed road cutting in about 1.00 km. achieving formation width of 5/7 mtrs. During execution the Forest department has got stopped the work due to additional trees coming in the alignment. The work has been foreclosed. The forest authorities intimated that fresh forest case may be prepared for futher alignment. A joint inspection with D.F.O was conducted. The fresh forest case work shall be restarted.

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि जो सर्वे हुआ है वह भी ठीक नहीं है। इस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया कुछ पेड़ों की गलत मार्किंग हो गई थी। अब केस पुनः वन विभाग को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। इसी महीने मामला दोबारा भेज देंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

33. **वर्ष 2012 में प्रधान कोली समाज हिमाचल प्रदेश के माध्यम से तालग से अनुसूचित (कोली) जाति के गांव बिजली के लिए सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से आवेदन किया गया था जिसे इस गांव के अतिरिक्त अन्य तीन गांव भी लाभान्वित होंगे। इस सड़क के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने छानबीन व बजट प्रावधान बारे निर्देश दिए गए थे जिस बारे सम्बन्धित विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग शिमला–1 को दिनांक 29–03–2012 द्वारा पत्र लिख कर छानबीन व कार्य सूची में सम्मिलित करने बारे आग्रह किया गया था। सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सर्वे व भूमि सम्बन्धित कागजात सहित प्राक्कलन तैयार कर हमारी जानकारी के अनुसार मामला दिनांक 17–12–2014 को अधीक्षक अभियन्ता चतुर्थ वृत हि0 प्र0 लोक निमार्ण विभाग शिमला द्वारा सम्बन्धित विभाग को भेज दिया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु बजट का प्रावधान करने की कृपा करें।**

(श्री जगन दास, शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार अधीक्षण अभियन्ता ,चतुर्थ वृत हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के पत्र संख्या –SE- IV- R- II (DHAMI) 14-16081-84, Dated.17.12.14 द्वारा 26.21 लाख रू0 का प्राकलन तैयार कर सम्बन्धित विभाग को A/A-E/S के लिए भेजा गया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

34. **प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत निर्मित गराज से बरास्ता, गुजरेट, भुआं, शान्ति ग्राम, काथला व अरड़ोग में पूर्व निर्मित सड़क के साथ लिंक हो जाने के उपरान्त उस मार्ग का उद्घाटन माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री विनय कुमार द्वारा माह जून 2013 को किया गया है। अतः यह रोड़ लोकहित में लोक निर्माण विभाग को समर्पित है परन्तु अभी तक इस मार्ग पर बस बहाल नहीं करवाई गई है जबकि इस मार्ग में चार अनुसूचित बस्तियों की जनसंख्या के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोगधार के पैदल चलने वाले विद्यार्थियों को भी आने जाने की सुविधा हो जाएगी।**

(श्री जालम सिंह,संगडाह सिरमौर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार अनुसार इस रोड़ का नाम बोगधार से गराडी है जोकि

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पैकेज न0 HP19-90 द्वारा स्वीकृत किया गया है इस मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व यह मार्ग Road Fitness Committee द्वारा पास कर दिया गया है। इस मार्ग का उद्घाटन माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री विनय कुमार द्वारा माह जून 2013 को किया गया है। इस रोड़ पर जो बस चलाई जानी वांछित है यह मामला हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम नाहन से सम्बन्धित है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

35. **बिजली महादेव खराहल सड़क लोक निर्माण विभाग मण्डल कुल्लू–II, के स्थान शराऊगी मोड़ से देहणीधार तक जो सम्पर्क मार्ग है, की दशा ठीक नहीं है अतः इस मार्ग में डंगा व मैटलिंग करवा कर मुरम्मत की जाए। देहणीधार अनुसूचित जाति का गांव हैं। इस गांव के बिलकुल साथ एक पुली का भी निर्माण किया जाये ताकि गांव बाढ़ से बच सके।**

(श्री हेमन्त दास पन्थी,कुल्लू)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार शराऊगी मोड से देहणीधार सम्पर्क मार्ग ठीक कर दिया गया है तथा Missing Culvert का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि सूचना सही नहीं है तथा सम्पर्क मार्ग ठीक नहीं किया गया है। इस पर विभाग क्षारा सूचित किया गया कि सोलिंग कर दी गई है पक्का किया जाना बाकि है कार्य शीघ्र की कर दिया जाएगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

36. **जिला शिमला के ग्राम पंचायत गलोट के ग्राम खरयाड़ को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाये क्योंकि यह गांव मुख्य मार्ग से लगभग दो किलो मीटर दूरी पर है जहॉ की शतप्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है । यह गांव उंचाई पर है जहॉ लोगों को भवन निर्माण की सामग्री व उत्तपाद वस्तुओं को लाने –ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्पर्क मार्ग बारे कई बार पंचायत स्तर पर भी उठाया गया है जबकि कोई कार्यवाही नहीं हुई अतः मामला महोदय के संज्ञान में लाते हुए कृपया ब्लॉक स्तर पर उचित निर्देश जारी किए जांऐं।**

(श्री दयानन्द कश्यप शिमला)

विभागीय उत्तरः–

जिला शिमला के ग्राम पंचायत गलोट के ग्राम खरयाड़ को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने बारे अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित खण्ड विकास कार्यालय द्वारा की जानी है।

ग्रामीण विकास विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे।

(लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग)

मद पर गहन चर्चा में अतिरिक्त मुख्य सचिव(लोक निर्माण) ने अवगत करवाया कि कुछ कार्य कर लिया गया है व शेष को अतिशीघ्र कर लिया जायेगा जिस पर माननीय सदस्य ने आप्पती जाहिर की है कि सम्पर्क मार्ग ठीक किया ही नहीं गया है। जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए कि कार्य को शीघ्र किया जाये।

37. **सरकार पूरे प्रदेश में कोली बहुल्य गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए सम्बन्धित विभाग जैसे उप–मण्डलाधिकारी (ना0), खण्ड विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग व वन मण्डलाधिकारी को निर्देश जारी करें कि कोली बहुल्य गांवों को सड़क से जोड़ने की सम्भावनाओं का पता लगाऐं अतः यह भी छानबीन करें कि किन–किन कोली बहुल्य गांवों को अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया। कृपया उसकी डी0पी0आर0 तथा अनिवार्य दस्तावेज दो माह के भीतर–भीतर माननीय अध्यक्ष ''कोली कल्याण बोर्ड'' को उपलब्ध करवांऐं।**

(श्री केशव राम लोथटा,चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस विषय में समस्त अधीक्षण अभियन्ता ,हि0प्र0लो0नि0 विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा–निर्देश इस कार्यालय के पत्र संख्या 7646–65 दिनांक 30.09.2015 द्वारा जारी कर दिए गए है।

(लोक निर्माण विभाग)

मद पर चर्चा में माननीय अध्यक्ष महोदय ने का कि उपायुक्त शिमला के माध्यम 2,3 लाख स्वीकृत कर दिए जाएंगे।

उक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

38. **जिला मण्डी के चैल जेजैहली, लिंक रोड़ कुथाह पुल्ह से बुखलबार चापड शिल्ली भझौड़ शबाड़ा अनुसूचित गांव शिल्ह के बीच जितने भी गांव आते हैं वह गांव अनुसूचित जाति के हैं। इस सड़क की लम्बाई 5 किलो मीटर है। लोगों ने इस सड़क निर्माण हेतु अपनी मलकीयत भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम की है व वन विभाग के आदेशानुसार पेड़ों की मार्किंग भी कर दी गई। औपचारिकताऐं पूर्ण होने उपरान्त भी लो0नि0 विभाग नया से नया मार्ग निकाल रहे हैं। यह सड़क मार्ग राजनैतिक दबाव के कारण रूका है। इसी कम में ग्राम कुल्थणी दड़ा खहड़ से शिल्ह 4 किलो मीटर है जिसका कार्य कुछ हो चुका है व कुछ अभी अधुरा पड़ा है।**

(श्री लेसर राम चौहान थुनाग, जिला मण्ड़ी)

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मण्डी के चैल जंजैहली से सम्पर्क सड़क बखलवार शिल्ह के लिए जो सड़क का निर्माण कार्य किया है। वह स्थानीय जनता ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ है। लोगों से इस सड़क के निर्माण हेतु अपनी मलकीयत भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम करने बारे कोई भी लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि विभाग द्वारा इस सड़क को सम्पर्क सड़क चैल जंजेहली सड़क से गांव बुखलवार नाम से प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना फेज –नौ के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था। इस सड़क के निर्माण हेतु पैकेज न0 एच0पी0–08–16 के अन्तर्गत 165.16 लाख की डी0पी0आर भी

मंजूर करवा ली गई थी परन्तु निजी भूमि की गिफट डीडस व वन विभाग की भूमि के लिए FCA Act 1980 के अर्न्तगत स्वीकृत न होने की वजह से काम शुरू नहीं किया जा सका तथा इस योजना को Drop करवा दिया गया। अब निजी भूमि मालिक गिफट डीड देने के लिए तैयार है। वर्तमान में Forest case तैयार करवा लिया गया है। अतः पेड़ों की गणना (Rnumeration) मौके पर करवा दी गई है परन्तु ग्राम वन अधिकार समितियों से F.R.A. Certificate न मिलने के कारण अभी तक Forest case वन विभाग को नहीं भेजा जा सका जैसे ही F.R.A. Certificate प्राप्त होगा Forest case वन विभाग को भेज दिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इसमें कोई भी नया मार्ग नहीं बनाया गया है। जहां तक गांव कुल्थणी दडा खडड से शिल्ह 4 किलो मीटर लम्बी सड़क का सवाल है ऐसी कोई भी सड़क नहीं बनी है। हालांकि एक ट्रैक्टर योग्य सड़क गाहीधार (कडौऊण) से वानाधार शिली नाम से विभाग द्वारा D.C.Deposit (BASP) के अर्न्तगत वर्ष 2012–13 में बनाई गई थी जिसकी लम्बाई लगभग 1. 250 किलो मीटर है। इस संड़क के निर्माण कार्य के लिए 1.50 लाख रूपये उपायुक्त मण्डी से मिले थे जोकि सड़क के निर्माण कार्य में खर्च हो चुके है। धन के अभाव व आगे घना जंगल होने के कारण सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका है।

(लोक निर्माण विभाग)

मद पर हुई चर्चा दौरान उपायुक्त मण्डी ने कहा कि परीक्षण कर जल्दी करवा दिया जायेगा।

अतः मद को समाप्त किया गया है।

39. गौड़ा से रेह–काटल वाया डाहर सड़क का निर्माण बारेः

इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2009 में प्रारम्भ हुआ था जो अभी तक अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए 35.5 लाख की अवश्यकता है अतः इस सड़क को बाली घाटी अश्वनी खड्ड संपर्क सड़क में 'बाग (बाग–भुईरा) बरड़ कलौनी को जोड़ा जाना है। जिसका कम्पयुटर कोड 2008–307 है । इससे लाभान्वित होने वाले गांव कुरगल, कड़ोग व डोल का जुब्बड़ है जिनमें 50 से 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है।

(श्री पलक राम कश्यप,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

The concerned department has informed that Administrative Approval and expenditure sanction for the road named Gaura Reh Katal via Dhar Chakla km. 0/0 to 5/0 has been accorded by the Principal Secy. (SJ&E) to the Govt. of HP letter no SJE-B-C (10)-14/2008-11-loose dated 10-06-2009 for Rs. 84.85 lacs.

The total length of this road is 5.00 kms. Out of which 2.300 km widening and C.D. has been completed. There exists a budget provision to the tune of Rs. 10.38 lacs vide computer code no. 2008-307-58647 for current financial year 2015-16 and futher work has been awarded to the contractor for widening from km. 2.300 to 3/0 by the Executive Engineer Solan Division HPPWD Solan vide his letter No.SD-CB-Tender /Award letter/5563-71 dated 18.10.2015.The approximate amount of Rs. 35.00 lacs is futher required to complete this road.

The expenditure to the ture of Rs. 45.25 lacs has already been incurred on execution of this work till date.

(लोक निर्माण विभाग)

मद पर चर्चा में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य को शीघ्र करवाने के निर्देश दिए।

अतः मद को समाप्त किया गया।

40. ग्राम पंचायत जलेल में लगभग एक किलोमीटर एम्बुलैन्स रोड़ जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम शकलेच गवाला में किया जा रहा है जिसके लिए लगभग 7 वर्ष से राशि भी स्वीकृत है। इस रोड़ को पूरा करने में अविलम्ब क्यों हो रहा है। अतः कब तक इस कार्य को पूरा किया जाऐगा।

(श्री जगजीत कुमार,शिमला)

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत जलेल में ग्राम सकलेच गवाला सड़क की कुल लम्बाई एक किलोमीटर है जिसे आधा किलोमीटर तक पक्का किया जा चुका है तथा आधा किलोमीटर सड़क की नाली का कार्य ठेकेदार को अवार्ड कर दिया गया है। वर्ष 2015–16 में वर्किंग प्रोग्राम में शेष आधा किलोमीटर सड़क को भी पक्का करने का प्रावधान किया गया है।

(लोक निर्माण विभाग)

उक्त उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त किया गया है।

41. ग्राम पंचायत खरशाली के ग्राम वकोरा से घराट खड्ड तक एम्बुलैंस रोड़ बारे ।

(श्री नागरू राम ,चढगांव शिमला)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार वकोरा से घराट खड्ड तक एम्बुलैन्स सड़क का Survey पंचायत के अनुरोध पर कर दिया गया है। जिसकी लम्बाई 2 किलो मीटर होगी इस सड़क में लोगों की निजी भूमि पड़ती है जिसकी Gift Deeds ग्राम पंचायत खरशाली से अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त विभाग के पास इस सड़क को बनाने के लिये कोई Budget/Deposit उपलब्ध नहीं है। इस सड़क में Forest land भी आती है। जिसका FCA Case भी बनाना होगा।

(लोक निर्माण विभाग)

मद पर चर्चा की गई जिस में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए GiFt Deeds के अतिक्ति वन भूमि का FCA मामला भी तुरन्त तैयार किया जाए।

अतः मद को समाप्त किया गया है।

42. ग्राम पंचायत कुलगांव के अन्तर्गत लिंक रोड़ थान्टी से कुलगांव तक टायरिगं, मैटलिंग तथा शोलिंग करवाये जाने बारे।

(नागरू राम ,चढगांव,शिमला)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

मद पर चर्चा में विभागाध्यक्ष द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्राकलन तैयार कर दिया गया है जैसे ही 35.00 का बजट स्वीकृत हो जाएगा कर दिया जायेगा । जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि कोई दिक्क्त आए तो बजट प्राकलन मुझे भेजा जाए।

हिम ऊर्जा से सम्बन्धित मदें:

43. आरक्षित ग्राम पंचायत टूटू मजठाई खण्ड विकास मशोबरा के पांच वार्डो में सौर ऊर्जा लगवाने बारे मामला पंचायत के प्रस्ताव संख्या–13, दिनांक 11–03–2013 द्वारा पारित प्रस्ताव पूर्ण दस्तावेज सहित दिनांक 30–03–2013 को हिम ऊर्जा विभाग को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त यह मामला जून 2014 में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के माध्यम से उठाया गया था परन्तु उसके बावजूद भी अभी तक सौर ऊर्जा लाईटें लगवाने बारे कोई भी प्रगति नहीं हुई है इसलिए यह मामला इस बोर्ड के माध्यम उठाना पड़ा।
(श्री उतम सिंह कश्यक, शिमला)

44. तहसील शिमला के ग्राम पंचायत गलोट के खरयाड़,गलोट, खलोल, रूड़,बनयाड़, सेरी, खिलणा, शिलडू, पनेश,कण्ड़ा, शामलाघाट व इच्छासेर इत्यादि गांव में कोली समाज की पर्याप्त आबादी है। कृप्या उक्त गांव में भी सौर ऊर्जा लागवाई जाये।
(श्री दयानन्द कश्यप, पनेश, शिमला)

45. तहसील करसोग पंचायत तत्तापानी के अर्न्तगत हरिजन बस्तियों रण्डौल, तत्तापानी (बल्ह), चमारगली, तरेडी,ठोगी की जनसंख्या लगभग 90 व 100 प्रतिशत है। इन बस्तियों में सौर ऊर्जा लाईट लगवाने बारे लगभग एक वर्ष पूर्व माननीय मुख्य संसदीय सचिव पर्यटन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री मनसा राम जी के माध्यम पंचायत प्रस्ताव जिलाधीश मण्डी को भेजा गया था परन्तु अभी तक इन बस्तियों को सौर ऊर्जा लाईट नहीं मिली जबकि तत्तापानी के सामने जिला शिमला के ग्रामों में ये लाईटें उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
(श्री कुन्दन लाल करसोग, मण्डी)

46. जिला सोलन के ग्राम पंचायत सलोगड़ा के ग्राम बेल,हरठ राजकीय प्राथमिक पाठशाला हरठ हैरिटेज स्थल, जबलाटी, गुठाहां, सिहवल व धार में सोलर लाईटें लगवाने बारे।
(श्री आनन्द कुमार,सोलन)

47. जिला शिमला के तहसील चढ़गांव विकास खण्ड़ चढगांव के अर्न्तगत ग्राम पंचायत खरशाली, कवार के जिऊराडी, डोडरा, हरीजन बस्ती गुम्मा, खावल के झेलयुवाड़ी, पुजारली, गांव राहू, करऐं धगोली, शिलादेश के ग्राम टिक्कर तथा सिन्दाजली व उक्त पंचायतों के विभिन्न हरिजन बस्तियों में सोलर लाईटें लगवाये जाने बारे।
(श्री नागरू राम,चड़गांव शिमला)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत टूटू मजठाई खण्ड मशोबरा से दिनांक 30–03–2013 को एक प्रस्ताव पंचायत के पांच वार्डों में 200 सौर ऊर्जा लाईटों की स्थापना हेतु प्राप्त हुआ था जिसे पूरे प्रदेश से प्राप्त कर अन्य प्रस्तावों सहित संकलित रूप में 66940 सौर ऊर्जा लाईटों की स्थापना हेतु जवाहर लाल नैहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अर्न्तगत स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय को दिनांक 07–09–2013 को प्रेषित कर दिया गया था। जिसकी स्वीकृति भारत से सरकार अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह जानकारी माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के यू0ओ0 दिनांक 17–06–2014 के संदर्भ में दिनांक 1–07–2014 को पहले ही दी जा चुकी है।

हिमऊर्जा को अनुसूचित जाति उप योजना के अर्न्तगत सीमित मात्रा में जिलावार बजट उपलब्ध होता है। जिसे सम्बन्धित जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायक की कन्सैन्ट से ही बराबर मात्रा में सोलर स्ट्रीट लाईटस की स्थापना पर व्यय किया जाता है। जहाँ अनुसूचित जाति कि लोगों की आवादी 40 प्रतिशत या इससे अधिक अथवा 90 व्यक्ति या इससे अधिक हो।

तहसील शिमला में सौर ऊर्जा लाईट लगवाने हेतु बताये गए 12 गांवों में से केवल 4 गांव ही अनुसूचित जाति वाहुल गांवों की सूची में शामिल हैं। यहाँ यह बताना भी उचित होगा कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए जिला शिमला के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 20.00 लाख रूपये का प्रावधान है जिस में से तकरीबन 13 सौर ऊर्जा लाईटें शिमला जिला की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। अतः 4 गांव नामतः खरयाड़, खलोल, शिल्डू तथा इच्छासेर जो कि अनुसूचित जाति वाले गांव की सूची में शामिल हैं, इन स्थानों पर सौर ऊर्जा लाईटों की स्थापना स्थानीय माननीय विधायक, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की स्वीकृति उपरान्त ही की जाऐगी। अन्य स्थानों पर सौर ऊर्जा लाईटें लगवाने हेतु माननीय जिलाधीश शिमला से विकेन्द्रीकृत नियोजन के अर्न्तगत धन राशि उपलब्ध करवाने हेतु मामला उठाया जा रहा है।

तहसील करसोग पंचायत तत्तापानी के अर्न्तगत अनुसूचित बस्तियों रण्डौल, तत्तापानी (बल्ह),चमारगली,तरेडी,ठोगी में सौर ऊर्जा लाईटें लगवाने बारे माननीय मुख्य संसदीय सचिव, पर्यटन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्री मनसा राम जी के माध्यम से पंचायत प्रस्ताव जिलाधीश मण्ड़ी से उठाया गया था। परन्तु इन अनुसूचित जाति बस्तियों/गांवों का नाम माननीय मुख्य संसदीय सचिव द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए 12 सौर ऊर्जा जारी बस्तियों की सूची में शामिल नहीं था। अतः इन बस्तियों में लाईटें स्थापित नहीं की जा सकी।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिला मण्डी के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अर्न्तगत 24.77 लाख रूपये का प्रावधान है जिसमें से लगभग 13 सौर ऊर्जा लाईटें जिला मण्डी की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में स्थापित की जा सकती हैं। अतः उक्त गांव में सौर ऊर्जा लाईटें स्थानीय विधायक की स्वीकृति उपरान्त ही स्थापित की जायेगी।

(हिम ऊर्जा)

48. ग्राम पंचायत थड़ी के ग्राम पनोग, पवाड़ तथा सलाना में मूलभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इन गांव की अधिकतर आबादी अनुसूचित जाति की है के मध्य नजर इन गांवों को अनुसूचित जाति उप

योजना के अर्न्तगत लाभान्वित कर सोलर लाईट की सुविधा हेतु प्रस्ताव निदेशक, हिम ऊर्जा को दिनांक 16–02–2015, के अन्तर्गत भेजा जा चुका है।

(श्रीमती आशा कश्यप शिमला)

विभागीय उत्तरः–

हिम उर्जा द्वारा ग्राम पंचायत थड़ी के ग्राम पनोग, पवाड़ तथा सलाना में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत दो–दो सोलर स्ट्रीट लाईटें मास जुलाई, 2015 के दौरान स्थापित की जा चुकी हैं ।

(हिम ऊर्जा)

मद पर चर्चा में अतिरिक्त मुख्य सचिव (हिम ऊर्जा) ने अवगत करवाया कि परीक्षणानुसार प्राकलन तैयार करवाकर सौर ऊर्जा/सोलर स्ट्रीट लाईटें लगवादी जायेगी ।

अतः मद को समाप्त किया गया।

भाषा एवं सस्कृति विभाग से सम्बन्धित मदें:

49. **हिमाचल प्रदेश में कोली जाति का क्या इतिहास रहा है**

–कोल वंशी कोली सम्प्रदाय, कोली समाज से सम्बन्धित प्राचीन एवं नवीनतम संग्रह एवं संग्रहालय बारे।

(श्री संतोष कुमार सन्जौली,शिमला/श्री चन्दन जोगी ठियोग,शिमला)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समुदाय के लिए अलग से संग्राहलय नहीं बनाया जा सकता है। समुदाय वंश से सम्बन्धित कला वस्तुओं/कला कृतियों के प्रदर्शन हेतु वर्तमान संग्रहालयों में स्थान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

(भाषा एवं संस्कृति)

उक्त मद पर हुई चर्चा में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान संग्रहालय में ही स्थान उपलब्ध करवा दिया जाऐगा।

अमः मद को समाप्त कर दिया गया है।

50. **गैर मुआफीदार देवताओं के मन्दिर की मुरम्मत हेतु आवश्यकता अनुसार धन उपलब्ध करवा कर कृतार्थ करें। ताकि वर्तमान में इन मन्दिरों की भी सुरक्षा हो सके, क्योंकि इन मन्दिरों में कलात्मक मूर्तियॉ मौजूद हैं।**

(श्री हेमन्त दास पन्थी, कुल्लू)

51. **ग्राम पंचायत टिकरी के ग्राम गुम्मा विष्णु मंदिर तथा ग्राम टिकरी के विष्णु मंदिर की मुरम्मत तथा ग्राम पंचायत डोडरा क्वार के ग्राम डोडरा तथा जांगलिख के विष्णु देवता मंदिरों के प्रांगण मुरम्मत हेतु धन राशि उपलब्ध करवाने बारे ।**

(श्री नागरू राम,चड़गांव शिमला)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्वार एवं मुरम्मत हेतु मु0 50,000/– अधिकतम योजना अनुसार उपलब्ध करवाता है। बशर्ते प्राचीन मन्दिर कम से कम 100 वर्ष पुराना होना चाहिए। अतः नव निर्मित मन्दिर के लिए विभाग अनुदान प्रदान नहीं करता है।

(भाषा एवं संस्कृति)

मद पर चर्चा में विभागाध्यक्ष द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि विष्णु देव मन्दिर हेतु मु0 4.57 लाख रूपये स्वीकृत कर दिए गए हैं बाकि का प्राकलन तैयार कर कर दिया जायेगा।

पशु पालन विभाग से सम्बन्धित मदें:

52. जिला सोलन के जिला बेल में पशु चिकित्सालय स्थापित करने बारे। जिस बारे माननीय सा0 न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया गया था।

(श्री आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

पशु पालन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला सोलन के तहसील सलोगड़ा के अन्तर्गत बेल में पशु चिकित्सालय स्थापित करने बारे मामला अभी वित्त विभाग के विचाराधीन है।

(पशु पालन विभाग)

अतःचर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित मदें:

53. जिला सोलन के अर्न्तगत सलोगड़ा राष्ट्रीय मार्ग पर बने कूड़ा संयंत्र को जल्द स्थानान्तरण करने सम्बन्धी सरकार से वर्ष 2011 से गुहार लगाई जा रही है अतः समाचार पत्रों के माध्यम मामला उठाया गया परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(शहरी विकास विभाग)

मद पर गहन चर्चा उपरांत निणर्य लिया गया कि कूड़ा संयंत्र को शिमला स्थानांत्रित कर दिया जायेगा।

अतःमद को समाप्त कर दिया गया है।

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें:

54. कोली समाज के पास कितनी भूमि है मालिक कब्जा कितना है, कब्जा, गैर मारूसी या मारूसी है इसका स्पष्ट आंकलन करवा कर जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि पट्टा पर दी जाये।

(श्री मदनलाल बसरा,ऊना)

55. इसी क्रम में कोली जाति के भूमिहीन लोगों/परिवारों की प्रदेश में कुल संख्या कितनी है तथा जिला सिरमौर में शामलात/काश्तकारी भूमि का मालिकाना हक क्या उन्हें मिल चुका है। अतः भूमिहीनों को नोतौड़ प्रदान करने की सरकार की क्या योजना है।

(श्री संतोष कुमार,संन्जौली शिमला)

विभागीय उत्तरः–

राजस्व विभाग से प्राप्त सूचनानुसार किसी समुदाय/जाति विशेष के भूस्वामियों/व्यक्तियों के नाम पर कितनी–2 भूमि बतौर मलकियत अथवा काबिज है इसके आंकड़े नहीं रखे जाते। इस प्रकार के आंकड़े सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में ही दर्ज होते हैं। अतः जिला राजस्व अधिकारी उपायुक्त लाहौल स्पिति, ऊना, बिलासपुर से प्राप्त राजस्व अभिलेख सूचना प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार अंकित है :–

क.सं.	नाम कानूनगो वृत/जिला	तादाद मलकान	रक्बा मजरूआ	रक्बा गैर मजरूआ	कुल रक्बा	कब्जा नाजायज़
1.	लाहौल सिपिति तान्दी/केंलग	193	717–18–15	598–14–15	1316–12–15	188–13–3
2.	ऊना ,बंगाणा, अम्ब व हरोली,	77	13–9–89 है0	0–32–42 है0	13–42–31 है0	–
3.	बिलासपुर	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(राजस्व विभाग)

मद पर चर्चा दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) द्वारा आश्वासन दिया गया कि जाति विशेष वार सूचना प्राकलन तैयार करने में थोडा समय लग जायेगा अतः अगली बैठक तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

56. तहसील शिमला की ग्राम पंचायत गलोट, के साथ लगी अन्य पंचायतें शामलाघाट व भलोह जो विशाल हिमाचल के पुनर्गठन से पूर्व तहसील कण्डाघाट के अन्तर्गत आती थी तथा यह क्षेत्र पंजाब राज्य के अधीन था। केंन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोली समाज को 1960 से 1970–71 के दशक तक इस क्षेत्र में पड़ी बंजर शामलात भूमि पंचायतों द्वारा आबंटित की गई थी व उन परिवारों ने कड़ी मेहनत कर भूमि को काश्त के काबिल बनाया परन्तु खेद का विषय है कि 50–60 वर्ष का समय बीत जाने पर भी इन्हें स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया। ऐसे मामले राज्य के अन्य जिलों में भी हो सकते हैं।

(श्री मदनलाल बसरा,ऊना/श्री संतोष कुमार,संन्जौली शिमला/श्री उतम सिंह कश्यप, शिमला/श्री दयानन्द कश्यप, शिमला)

विभागीय उत्तरः–

राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग द्वारा किसी समुदाय/जाति विशेष के भूस्वामियों/व्यक्तियों के नाम पर कितनी–2 भूमि बतौर मलकियत अथवा काबिज है इसके आंकड़े नहीं रखे जाते । इस प्रकार के आंकड़े सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में ही दर्ज होते हैं। जहॉ तक किसी भी समुदाय/जाति के भूमिहीन व्यक्तियों का प्रश्न है इसके लिए सरकार द्वारा रिहायशी मकान तामीर करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बस्वा, शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के लिए दिशा निर्देश पत्र संख्याः रैव.वी.एफ. (1) 1/2006–1 दिनांक 22 जनवरी, 2014 द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा हि0प्र0 ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा धारा 3 में संशोधन करके ऐसी शामलात भूमि जो सरकार में निहित हो चुकी थी को सम्बन्धित व्यक्तियों को वापिस दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके फलस्वरूप राजस्व अभिलेख में शामलात भूमियों की 1 जनवरी, 1950 की प्रविष्टियों को पुनः राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। नोतौड़ भूमि आवंटन का प्रश्न है इस बारे फिलहाल प्रदेश में सरकारी भूमि की कमी के कारण पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लागू है।

(राजस्व विभाग)

उक्त उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

57. यदि कोली अथवा अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के पास अपनी गरीबी व मजबूरी के कारण अपनी काश्त भूमि के अलावा 5 बीघा या इससे कम की भूमि काश्त की हो/Encroachment की हो तो ऐसे पात्र लोगों की निष्पक्ष पहचान करवा कर उन्हें उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।

(केशव राम लोदटा,चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

राजस्व विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विभाग द्वारा अबैध कब्जा नियमितिकरण के लिए स्कीम बनाई गई थी जो कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(राजस्व विभाग)

मद पर चर्चा में अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अबैध कब्जा नियमितिकरण के लिए स्कीम बनाई गई थी जो कि अभी माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में निर्णय हेतु विचाराधीन है।

58. प्रदेश में अनुसूचित जाति के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी भूमि या तो स्थानीय साहूकार के पास रहन है या बैंक अथवा सरकार के पास रहन है तथा उनकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। गरीबी के कारण ऋण अदा न करने के कारण रहन रखी भूमि कुर्क होने के कागार पर है। ऐसे गरीब लोगों का सर्वेक्षण करके वास्तविक सूचना एकत्रित कर उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना

तैयार की जानी चाहिए ताकि उन गरीब लोगों के बच्चों को बरबाद होने से बचाया जा सके। यह आश्वस्त किया जाना चाहिए कि सूचना का एकत्रिकरण सही हो ताकि पात्र लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सके।

(केशव राम लोदटा,चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

(राजस्व विभाग)

समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित मदें:

59. नवोदित कोली समाज ईकाई पांवटा साहिब को प्रोत्साहन हेतु कोली बिरादरी गांव व क्षेत्र की पहचान के पश्चात, इस समाज के कल्याण को मध्यस्त रखते हुए अनुरोध है विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये। यह आर्थिक पैकेज सभी जिलों के सदस्यों को भी उपलब्ध करवाया जाये।

(सुनील कुमार, सिरमौर/मदन लाल बासरा ऊना)

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित उपायुक्त सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश)

60. हिमाचल प्रदेश में कोली जाति की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक स्थिति क्या है।

61. हिमाचल प्रदेश में कोली जाति की वर्तमान स्थिति के लिए कौन–कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेवार रही हैं, क्या इन परिस्थितियों को आज के परिप्रेक्ष में खत्म किया जा सकता है, ताकि सामाजिक समानता एवं इस जाति के खोए इतिहास को पुनर्जीवित किया जा सके।

विभागीय उत्तरः–

सम्बन्धित उपायुक्त सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश)

62. **Construction of Koli Samaj Bhawan in State Capital or its vicinity.**

Land and Funds for the construction of Koli Samaj Bhawn in State Capital or its vicinity and Palampur (Kangra) may please be provided to facilitate shelter to the Non-official members and other community people, who visit State capital from different parts of the State.

(श्री उतम सिंह कश्यप शिमला/श्री पंजाब सिंह गगल कांगडा/श्री सुनील कुमार सिरमौर /कै0 गिरधारी लाल कांगडा/श्री केशव राम लोदटा,चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त ऊना से प्राप्त सूचना अनुसार सम्बन्धित संस्था/User department सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जमीन का चयन करके भूमि स्थानान्तरण/लीज पर देने हेतु प्रस्तावना प्रस्तुत करती है जिस पर इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(समस्त उपायुक्त हिमचल प्रदेश)

उपायुक्त शिमला से सम्बन्धित मदेंः–

63. **कोली बाहुल्य गांवों में एक सार्वजनिक भवन (कॉम्युनिटी सैंटर) का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि रीति अनुसार वहॉ के लोग अपने पारम्पारिक उत्सवों का निर्विघन आयो**जन कर सकें।

(श्री केशव राम लोथटा, चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त शिमला ने अवगत करवाया कि भूमि का चयन कर लिया गया है।

(उपायुक्त शिमला)

64. **विकास खण्ड चौपाल की ग्राम पंचायत देईया दोची, के अर्न्तगत ग्राम खलाण्टूआ व कराई पूर्णतया कोली समाज द्वारा आबाद गांव हैं परन्तु उपरोक्त गांव को ऐम्बुलैन्स मार्ग (रोगी वाहन मार्ग) उपलब्ध नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि बीमार व्यक्ति पीठ पर उठा कर सड़क तक लाते–लाते दम तोड़ चुका होता है। प्रस्तावित ऐम्बुलैन्स मार्ग के निर्माण में कोई पेड़ नहीं आता है। अतः यह मार्ग लोगों की खेती योग्य भूमि से होकर जायेगा जिसके लिए सभी ग्राम वासी अपनी भूमि रोगी वाहन गार्ग को दान देने के लिए रज़ामंद है। जिस के शपथ पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाए जाऐंगे।**

(श्री केशव राम लोथटा,चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त शिमला)

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया कि मु0 1.50 लाख रूपये स्वीकृत कर दिए गए हैं।

अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।

65. श्री तुलसूराम पुत्र श्री काली दास ग्राम रांम्वा (लडोट) के घर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दिवार लगवाए जाने बारे ।

(श्री नागरू राम,डोडरा क्वार शिमला)

66. विकास खण्ड चढ़गांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्वार के हरीजन बस्ती निहारवाडी पुजारली में महिला मण्डल भवन के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाने बारे।

67. जिला शिमला के अन्तर्गत तहसील/विकास खण्ड चढगांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरशाली ग्राम डिऊंची, ग्राम पंचायत धोगोली, के ग्राम झटवाडी, ग्राम पंचायत टिक्करी के ग्राम गुम्मा व डोगटी, ग्राम पंचायत खावल में सडक से झेलयुबाडी तक, कुमरांडा से टंगसारी तक, ग्राम पंचायत शिलादेश हरिजन वस्ती रांम्वा (लडोट) शेलवानी कैंची तक,बडीयारा सड़क से गांव टिक्करी तथा खरशाली में जडकोट राजकीय उच्च विद्यालय तक रास्ता निमार्ण हेतु धन राशि उपलब्ध करवाने बारे।

(श्री नागरू राम,डोडरा क्वार शिमला)

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त महोदय शिमला द्वारा अवगत करवाया गया कि मद संख्या 65, 66 व 67 के अर्न्तगत सुरक्षा दिवार हेतु 25,000/– हजार, पुजारली के महिला मण्डल भवन निर्माण हेतु 1.00 लाख रूपये के अतिरिक्त विकास खण्ड चड़गांव के अर्न्तगत विभिन्न ग्राम पंचायतों में रास्ता निर्माण हेतु मु0 2.28 लाख रूपये स्वीकृत कर दिए गए हैं। वितरित धन राशि के दृष्टिगत माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिए कि स्वीकृत राशि का उसी कार्य के लिए सदुपयोग भी होना चाहिए जिसका निरीक्षण समय–समय पर किया जाए।

68. ग्राम पंचायत खरशाली की हरीजन बस्ती डिऊंची, ग्राम पंचायत डोडरा के हरीजन बस्ती डोडरा तथा ग्राम पंचायत शिलादेश की हरीजन बस्ती लडोट में शमशान घाटों के निर्माण हेतु धन राशि उपलब्ध करवाना।

(श्री नागरू राम,डोडरा क्वार शिमला)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त शिमला सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

(उपायुक्त शिमला)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने चहा है कि उपायुक्त शिमला मामले में मौका छानबीन करवाकर उक्त बस्तियों में शमशानघाट बनाने सम्बन्धित प्राकलन तैयार करवा कर दिया जाए।

उपायुक्त सोलन से सम्बन्धित मदें:

69. सम्पर्क सड़क (एम्बुलैन्स मार्ग) ग्राम सलोगड़ा से बेल, बेल से हरठ प्राथमिक पाठशाला से राष्ट्रीय मोहन हैरिटेज तक तथा एम्बुलैन्स मार्ग ग्राम बेल से गुठाहॉ, गुठाहॉ से धार तक, धार से डुंगड़ी तक पक्का किया जाए। जिसके अनुमानित लागत दस्तावेज पहले ही जे0ई0 द्वारा सरकार को भेजे जा चुके हैं।

(श्री आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(उपायुक्त सोलन)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि उपायुक्त सोलन वास्तु सिथिति से अवगत करवांऐ। जिस पर उपायुक्त महोदय ने का कि प्राकलन तैयार कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भम दिया गया है।

अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।

70. जिला सोलन के ग्राम हरठ में समुदाय भवन हेतु ततीमा काटने सम्बन्धित प्रार्थना माननीय उपायुक्त महोदय को भेजी जा चुकी है।

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(उपायुक्त सोलन)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि उपायुक्त सोलन वास्तु सिथिति से अवगत करवांऐ।

71. जिला सोलन के सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार किए जाने बारे।

(श्री आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगें।

(उपायुक्त सोलन)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि उपायुक्त सोलन वास्तु सिथिति से अवगत करवांऐ।

72. ग्राम गण की सैर में अल्पसंख्यक जाति के स्थाई निवासी 1970 से निवास कर रहे हैं और 72 बीघा शामलात चरान्द भूमि पर अपने पशु चराते एवं स्वर्गधाम आदि के लिए उपयोग करते हैं। इस पर

राष्ट्रीय सेवा संघ को नाजायज कब्जा दे रखा है। इसको मुक्त करवाने हेतु सरकार से गुहार लगाई जा रही है।

(श्री आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

(उपायुक्त सोलन)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि उपायुक्त सोलन वास्तु सिथिति से अवगत करवांऐ।

73. श्री श्री रामेश्वर महादेव मन्दिर के प्रांगण एवं डंगों को पक्का करने बारे अनुमानित लागत मु0 2.83 लाख रूपये खर्च होंगे कृपया निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(उपायुक्त सोलन)

मद पर चर्चा में उपायुक्त सोलन ने अवगत करवाया कि प्राकलन तैयार कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निरीक्षण करें कि मन्दिर का पत्थर कहॉ और कैसे लगा ।

74. श्रीमती सत्या देवी की मृत्यु अचानक आग की चपेट में आने से हुई है। कृपया उसके बच्चों को मुआवजा दिया जाए।

(आनन्द कुमार चौहान,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(उपायुक्त सोलन)

75. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र ग्राम पंचायत मशीवर को 3 बीस्वा भूमि मकान बनाने हेतु प्रदान की जाए।

(श्री विमल किशोर रघुवंशी, सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(उपायुक्त सोलन)

मद पर चर्चा के दौरान पाया कि राधा देवी को मकान बनाने हेतु तीन बीस्वा देना मुमकीन नहीं क्योंकि उनके पति के नाम पर जमीन है। अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।

76. जिला सोलन के ग्राम च्चौय में पड़ने वाली बेजा नदी पर पैदल पुल के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने बारे।

(श्री विमल किशोर रघुवंशी,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सोलन ने आवगत करवाया कि प्राकलन तैयार कर भेज दिया गया है।जैसे ही बजट स्वीकृत होात है कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

(उपायुक्त सोलन)

77. पूर्व सरकार ने प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत 100 गांवों को चयनित किया था जिसमें ग्राम पंचायत दंघील के गांव कड़ोग को राजनैतिक आधार पर अनदेखा कर के इस योजना के अर्न्तगत चयनित नहीं किया गया। जबकि कई पंचायतों से 4–4 गांव प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित हुए हैं। ग्राम कड़ोग विकास खण्ड कन्डाघाट जहॉ पर अनुसूचित जाति की आबादी 89.36 प्रतिशत है तथा इस गांव का विलेज कोड़ 022493 है। अतः उक्त गांव को आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत चयनित किया जाए।

(श्री पलक राम कश्यप, कण्डाघाट, सोलन)

विभागीय उत्तरः–

उक्त चर्चा के दौरान निदेशक,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने बवगत करवाया कि दिनांक 21 मई 2015 को मामला स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

(उपायुक्त सोलन)

78. ग्राम पंचायत हिन्नर के गांव, कुरगल, नौरा,टकराणा व ग्राम पंचायत दंघील के ग्राम कड़ोग, छोब, रेह–काटल, दोची व काई को मिलाकर एक अन्य नई पंचायत कुरगल के गठन हेतु प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाए।

(श्री पलक राम कश्यप, कण्डाघाट, सोलन)

विभागीय उत्तरः–

मद पर हुई चर्चा में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास पंचायति राज) ने अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि नई पंचायत के गठन पर प्रतिबन्ध है। अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।

(उपायुक्त सोलन)

उपायुक्त सिरमौर से सम्बन्धित मदें:

79. **ग्राम पंचायत सलानी–कोटला तहसील नाहन सिरमौर में कालाकुड़ के पास सलानी नदी पर पुल बनाये जाने बारे।**

(प्रो0 बलबीर सिहं ,सिरमौर)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त सिरमौर द्वारा अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से सूचना आपेक्षित है । जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि शीघ्र प्राकलन तैयार किया जाए ।

(उपायुक्त सिरमौर)

80. **Community Centre may be sanctioned for Vill. Dhakwali so as to meet the common needs of all people.**

(Sh. Kashmir Chand, Retd. I.A.S. Shimla)

विभागीय उत्तरः–

मद पर हुई चर्चा में उपायुक्त सिरमौर अवगत करवाया कि खण्ड विकास अधिकारी नाहन को प्राकलन तैयार करने बारे लिख है जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

(उपायुक्त सिरमौर)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें:

81. **Principal Secretary (Home), D.G. (Police) and Addl. Chief Secretary (Forest) be made Official Members of KKB.**

(i) Principal Secretary (Home) and Director General of Police may also be made official Members of the Board in relation to implementation of provisions of SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989.

(ii) Principal Secretary (Forest) should also be made official member of KKB in relation to disputed Revenue cases involving Forest Land and land allotted to various Small farmers in the State.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

बोर्ड के सरकारी/गैर –सरकारी सदस्यों का मनोनयन सरकार स्तर पर किया जाता है जिस पर बैठक में चर्चा उपरांन्त ही आगामी कार्यवाई की जा सकेगी।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता)

मद पर हुई चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

82. (क) अस्पृश्यता जैसे मामले जिन्हें आज भी जिन्दा दफनाया जाता है की गहन जॉच कर निष्पक्ष तथा पूर्ण रूप से कार्यवाही करना।

(ख) इक्कीसवीं शताबदी के शुरू होने पर भी अभी तक कोली समाज के विरूद्व अत्याचार क्यों हो रहा है? अभी भी कोली समाज के लोगों का मन्दिरों में प्रवेश व विभिन्न जल स्त्रोतों से पानी का प्रयोग निषेद्ध है।

(श्री सुनील कुमार पांवटा साहिब/श्री भगतराम पुण्डीर नाहन, सिरमौर/श्री बेलीराम कश्यप,सिरमौर)

विभागीय उत्तरः–

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गो पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (Protection of Civil Rights Act 1955) तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) Scheduled Cast & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 को देश के अन्य राज्यों की भान्ति इस राज्य में भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत अस्पृश्य्ता का प्रचार और आचरण करने वालों को दण्डित करना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय राहत देकर उनका पुर्नवास करना तथा दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड देने का प्रावधान है ताकि समाज में समानता लाई जा सके। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को 90,000 से 7,50,000/–रू0 तक की राहत राशि प्रदान की जाती है ।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

मद पर हुई चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

83. जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जानकारी हेतु शिविर लगाना।

(सुनील कुमार, पावंटा साहिब/बेलीराम कश्यप, सिरमौर)

विभागीय उत्तरः–

विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों एवं अधिनियमों के व्यापक प्रचार व प्रसार हेतु तहसील/ब्लॉक स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों एवं अधिनियमों के व्यापक प्रचार व प्रसार करते हुए आवश्यक प्रचार सामग्री भी वितरित की जाती है।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

मद पर हुई चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

84. **कोली बाहुल्य गांवों की मूलभूत सूविधाऐं जैसे : सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना।**

(श्री सुनील कुमार, सिरमौर/मदन लाल बासरा ऊना)

विभागीय उत्तरः–

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाऐं ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वित कर समान मूलभूत सूविधाऐं मुहैय्या करवाना सरकार की प्राथमिकता है परन्तु फिर भी यदि कोई क्षेत्र/गांव उक्त योजनाओं से वंचित हो तो कृपया वांछित योजना अनुसार प्राक्कलन तैयार कर इस विभाग को भिजवाऐं ताकि आवश्यक कार्यवाही हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जा सके।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

मद पर हुई चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

85. **Diversion of Funds from SC Sub-Plan needs to be checked.**

It needs to be ensured that no funds from SC Sub Plan are diverted for other Non-SC Schemes. Generally it is seen that benefits of SC-Sub Plan do not reach the families of SCs or their habitation. The benefits are mainly derived by the Non-SC families or their habitation after exploiting the schemes of SC Sub-Plan.

(Uttam Singh Kashyap Shimla/Beli Ram Kashyap)

विभागीय उत्तरः–

The Govt. has created separate head of Demand i.e. Demand No. 32 under Scheduled Castes Sub Plan, which is meant only for the welfare of SCs. No funds are diverted from SC Sub Plan. As far as deriving of benefits by the non SC Families or their habitation from the SCSP is concerned, it is stated that SCSP budget is spent on family oriented and infrastructural development schemes. Under the families oriented schemes the SCSP budget is spent exclusively on the scheduled castes beneficiaries where as, under infrastructural development schemes like roads, water supply irrigation, buildings etc. SCSP budget is spent strictly keeping in view the SC concentrated villages. For this purpose this department has identified SC concentrated villages. Which are having 40% and more SC population (4063) villages and 90 and above persons of SCs (2727) villages.

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

मद पर हुई चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

86. **Details of Funds allocated under SC Component Plan for the year 2013-14 and 2014-15. Whether the whole amount of funds have been utilized exclusively for the welfare of the section allocated or diverted otherwise.**

(Beli Ram Kashyap)

विभागीय उत्तरः–

Details of funds allocated and expenditure incurred during the year 2013-14 and 2014-15 is as under.

Year	Outlay	Exp.	% age
2013-14	1013.52	952.94	94.02
2014-15	1365.80 (Revised)	1329.00	97.30

No funds are diverted from Scheduled Castes Sub Plan and the same are being utilized exclusively for the welfare of SCs.

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

मद पर हुई चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

87. <u>अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के अर्न्तगत सड़क निर्माणः–</u>

विकास खण्ड चौपाल की ग्राम पंचायत देईया दोची, के अर्न्तगत ग्राम खलाण्टूआ, कटाऐं व कराई पूर्णतया कोली द्वारा आबाद गांव है परन्तु उपरोक्त गांव को ऐम्बुलैन्स मार्ग (रोगी वाहन मार्ग) उपलब्ध नहीं है कई बार ऐसा हुआ है कि बीमार व्यक्ति पीठ पर उठा कर सड़क तक लाते–लाते दम तोड़ चुका होता है। प्रस्तावित ऐम्बुलैन्स मार्ग के निर्माण में कोई पेड़ नहीं आता है। अतः यह मार्ग लोगों की खेती योग्य भूमि से होकर जायेगा जिसके लिए सभी ग्राम वासी अपनी भूमि रोगी वाहन मार्ग को दान देने के लिए रजामंद है, जिस के शपथ पत्र उपलब्ध करवाऐ जाऐंगे। इस मार्ग का निर्माण उबटुआ से ग्राम सालडी, भौलाला, भडेईला, घाला, कराई, खलान्टुआ व कटाऐं तक किया जाना चाहिए।

<u>(श्री केशव राम लोथटा,चौपाल)</u>

<u>विभागीय उत्तरः–</u>

अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत ऐसे गांव जहाँ पर अनुसूचित जाति की जन संख्या 40 % या अधिक, अथवा 90 व्यक्ति या इससे अधिक जनसंख्या हो उन्हीं गांवों में सड़क निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि यदि उक्त निर्माण कार्य उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता है तो सड़क निर्माण का मामला इस विभाग को भिजवाने की अनुकम्पा करें ताकि इस कार्य को अनुसूचित जाति उप–योजना 2016–17 हेतु प्रस्तावित कार्यों की सूची में शामिल किया जा सके ।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)

<u>(श्री केशव राम लोथटा,चौपाल)</u>

मद पर हुई चर्चा में माननीय सदस्य को अवगत करवाया गया कि वित्तीय बजट में डालवा दिया जाऐगा ।अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।

88. <u>Separate Constitutions for Koli Kalyan Board.</u>

A separate Constitution for KKB be framed, explaining the objectives, methodologies to achieve the objectives, periodicity of holding meetings of the KKB tenure of the Board and provision of granting TA/DA to the non official members.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

सरकार की अधिसूचना अनुसार कोली कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य समुदायों के कल्याण बोर्ड़ का भी गठन किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक बोर्ड़ की अवधि समान्यतः तीन वर्ष रखी गई है। गैर–सरकारी सदस्यों से प्राप्त विभिन्न मांगों को कल्याण बोर्डों की बैठकों में चर्चा एंव समाधान हेतु रखा जाता है। सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न कल्याण बोर्डों की बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा बैठकों के आयोजन के दौरान गैर सरकारी सदस्यों को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है।

89. Non-official Vice-Chairman be appointed to maintain liaison and co-ordination.

Apart from official Vice Chairman, provision for an additional non-official Vice Chairman is made in the proposed Constitution. The non-official Vice Chairman would maintain liaison between the Government and the non-official members in relation to various matters to be addressed through the Platform of KKB. Besides, he would also co-ordinate other non-official members in relation to activities of the KKB.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

माननीय गैर सरकारी सदस्य से प्राप्त उक्त मद एक नीतिगत मामला है जिस पर बैठक में चर्चा उपरान्त ही आगामी कार्यवाई की जा सकेगी।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

90. Strict implementation of provisions of SC/ST Prevention of Atrocities) Act 1989.

It needs to be ensured that provisions of SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989 are strictly adhered to monitorerd by the State Level, District Level and Sun-Divisional Committees.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

अनुसूचित जाति,जन जाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, तथा नियम 1995, के अन्तर्गत जिला स्तरीय/ उप मण्डल स्तरीय सर्तकता एवं प्रबोधन समितियों का गठन कर दिया गया है तथा समस्त जिला दण्डाधिकारयों/ उप–दण्डाधिकारयों को उक्त नियम के अर्न्तगत गठित सर्तकता एवं प्रबोधन समितियों की नियमित रूप से बैठक आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

91. Rationalization of allocation of funds in SC Sub-Plan in proportion to population of Koli in the State.

For rational socio-economic and educational development of the Koli community, allocation of funds in SC Sub–Plan has been in proportion of SCs. For this purpose, Caste Wise population of all the 56 Scheduled Castes in the State needs to be worked out. Koli Kalyan Board (KKB) must know the exact number of Koli community in the State.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

The allocation of funds under Scheduled Caste sub Plan is in proportion to the SC population of the State as per 2011 Census. This fund is spent on Scheduled caste community as a whole. Census Department has not brought out sub-caste wise population as per 2011 Census.

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

92. अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना

सरकार द्वारा संचालित योजना अनुसूचित जाति के लिए बहुत उपयुक्त है जिसमें बजट का 11 प्रतिशत धन इस समुदाय के लिए आवंटित होता है परन्तु इस योजना को वास्तविक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है जिससे सरकार का वास्तविक उद्देश्य विफल हो रहा है।

(श्री पलक राम कश्यप)

विभागीय उत्तरः–

अनुसूचित जाति उप योजना का आकार वर्ष 2007–08 तक कुल योजना का 11 प्रतिशत होता था, जबकि वर्ष 2008–09 से इस उप योजना का आकार प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुरूप कर दिया गया है तथा वर्ष 2015–16 में यह आकार बढकर 25.19 प्रतिशत हो गया है। जहां तक अनुसूचित जाति उप योजना को लागू करने का प्रश्न है, इस बारे समय–समय पर सभी सम्बधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं इसके अतिरिक्त इस उप योजना के क्रियान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा प्रत्येक जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा की जाती है व राज्य स्तर पर भी प्रगति समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

93. Age for National Old Age Pension needs to be reduced to 70 years in view of the low life Expectancy rate in the State.

Statistics released by the Union Ministry of Health and family Welfare show that life expectancy in India for males and females is 67.3 years and 69.6 years respectively in 2011-2015. Keeping in view the low average of life expectancy, the eligibility age of 80 years for National Old Age Pension (NOAP) is on the higher side. Due to poor socioeconomic conditions, the vulnerable groups of the society, including the Scheduled Castes Majority of who are from Koli community in the State of Himachal Pradesh are victims of the malnutrition and infectious diseases. Resultantly, hardly a negligible number of persons from these groups reach the age of 80 years. Therefore, in view the low life expectancy rate in the State, the eligibility age for NOAP needs to be reduced to 70 years.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

The eligibility criteria under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) is as under:-

The Age of the applicant (Male or Female) shall be 60 years and above and the applicant must belong to a household below the poverty line (BPL) according to the criteria prescribed by the Government of India.

Only the rate of pension is different i.e. Rs200/- p.m. is being provided to the pensioners between the age group of 60-79 years and Rs 500/- p.m. is being provided to the pensioners having age 80 years and above by the Ministry of Rural development, GOI.

However, the State of Himachal Pradesh is providing pensions at uniform rates i.e. at par with the rate of State Old age pension Schemes. In Himachal Pradesh Old Age Pension and National Old Age pension is being provided @600/- p.m to the pensioners between the age group of 60-79 years and thus Rs 400/- is being contributed by State Government from its own sources for IGNOAPS in addition to Rs 200/- being provided by GOI. Similarly, pensions to 80 years and above pensioners are being provided @ 1100/- p.m and thus Rs 600/- is being contributed by State Government from its own sources for IGNOAPS beneficiaries above 80 years of age in addition to Rs 500/- being provided by GOI.

Presently, **2,05,185** beneficiaries are being provided Old Age Pension/National Old Age Pension in the State out of which **1,15,185** are getting pensions under State Old Age Pension Scheme and **90,000** beneficiaries are getting pensions under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme. Pensions are being provided to all eligible irrespective of any caste and community.

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

94. Defunct Minor Works Rules 1991 of Welfare Department to improve the living Condition of Scheduled Caste Habitation may be revived.

With the coming into force "Mukhya Mantri Adarsh Gram Yojna 2011" (MMAGY) above cited Minor Works Rules 1991 have been repealed by the State Government in April, 2012. The operational area of MMAGY is confined to two SC dominated villages of an assembly constituency, per year, whereas the defunct Minor Works Rules, 1991 were applicable to SC/ST and other weaker section of the society having minimum population of not less than 25 persons of SC/ST or a cluster of 5 to 10 houses without any limit in its operational area. Financial assistance up to Rs. One lakh could be given under these Rules to improve the living conditions of SC habitations. Keeping in view the wider scope in operational Ares, the defunct Minor Works Rules, 1991 may please be revived to improve the living condition of habitations.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla/ Keshav Ram Lothta Chopal)

विभागीय उत्तरः–

माननीय गैर सरकारी सदस्य से प्राप्त उक्त मद एक नीतिगत मामला है जिस पर बैठक में चर्चा उपरान्त ही आगामी कार्यवाई की जा सकेगी।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

95. Training and Proficiency in Computer Application to SC/ST /OBC & other Minorities.

(i) Under the above cited programme, course fee up to Rs1,200 and stipend of Rs1,000 per month is granted to the youth of SC/ST/OBC and other Minority class of the society for carrying out one years training in computer application. The training provider Institutions are at District Headquarters only. The youth of far flung interior areas of the district cannot avail the benefit of this training due to inaccessibility of District Headquarters. Training provider Institutions be promoted to establish their Institutions at Sub-Divisional and Tehsil level. Apart from it, the trainees be allowed the concessional Pass facility to travel in HRTC Buses on the analogy of College Students.

(ii) Besides, limit of course fee and amount of stipend be increased to Rs.2000 per month. The Training provider Companies should also ensure placement of each trainee. Proficiency period of trainees, after completion of training course also needs to be enhanced up to two years.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

कम्पयुटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रिया–कलापों मे प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अंतर्गत वर्तमान में राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) तथा सी–डैक संस्थानों के माध्यम से प्रदेश में जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वास्तविक मांग अनुसार जिलों के अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में NIELIT के 26 केन्द्र तथा सी–डैक के 36 केन्द्र संचालित हैं। जहां तक HRTC Buses में प्रशिक्षणार्थियों को Concessional Pass Facility प्रदान करने का मामला है तो इस बारे परिवहन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है।

जहां तक फीस, स्टाईपैंड, प्रशिक्षण की अवधि इत्यादि बढ़ाने का प्रश्न है तो विभाग इस बारे गम्भीरता से विचार कर रहा है।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग/परिवहन विभाग)

96. सरकार द्वारा 80 वर्ष पूरे कर चुके व्यक्तिओं को ''एक हजार'' रूपये राष्ट्रीय वृद्धा पैंशन दी जा रही है। इसके लिए कोई आय सीमा लागू नहीं है को मध्यनजर रखते हुए निवेदन है कि पैंशन प्रपत्र से सत्यापन रिपोर्ट के पैरा संख्या 8, 9 व 10 इस वर्ग के प्रार्थीगण को छूट देने के लिए इन पैरों को हटाया जाये या जिला कल्याण अधिकारियों को इस बारे निर्देश दें कि सम्बन्धित प्रार्थी को इस बारे छूट प्रदान की जाये।

(श्री हेमन्त दास पन्थी, कुल्लू)

विभागीय उत्तरः–

सामाजिक सुरक्षा पैंशन नियमानुसार सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा भरी जाती है तथा सत्यापन रिपोर्ट के अन्त में नोट दिया गया है कि जो लागू न हो उसे काट दिया जाए तथा वास्तविक तथ्य रिपोर्ट किए जाऐं। अतः 80 वर्ष से अधिक आयु के प्रार्थियों पर जो क्रम लागू नहीं होत उसे काट दिया जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के प्रार्थियों को ग्राम सभा के प्रस्ताव से छूट प्रदान करने बारे मामला सरकार के विचाराधीन है।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

97. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए चलाई गई गृह निर्माण योजना के अर्न्तगत बजट को बढ़ाया जाये ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो सके।

(श्री हेमन्त दास पन्थी,कुल्लू)

विभागीय उत्तरः–

इस संदर्भ में निवेदन है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी योजना के अर्न्तगत लाभान्वित किया जाता है तथा तदानुसार ही सभी वर्गों की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार और वित्तीय वर्ष हेतु प्रावधित बजट के अनुसार ही बजट का आंवटन किया जाता है। गत दों वर्षो के दौरान गृह निर्माण अनुदान योजना के अंतर्गत बजट प्रवधान, वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	बजट(लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लक्ष्य /उपलब्धियां
2014–15	1910.11	1909.35	2547
2015–16 (31–12–2015)	2346.00	1737.51(31–12–2015)	3128/2426

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा बजट तथा लाभथिर्यो की संख्या में भी बढ़ौतरी की गई है।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

98. ग्राम पंचायत हिन्नर के गांव टकराणा में स्वीकृत/कार्यरत मिनी आंगबाड़ी का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र बनाया जाए क्योंकि इस गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 88 प्रतिशत है और इसके समीपवर्ती गांव की जनसंख्या भी 50 प्रतिशत से अधिक है।

(श्री पलक राम कश्यप,सोलन)

विभागीय उत्तरः–

महिला एवं बाल विकास निदेशालय से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम पंचायत हिन्नर के गांव टकराणा में इस समय मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र टकराणा संचालित किया जा रहा है, को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने हेतु नौहरा, कुरगल व रेकाटल गांव में से 62 की जनसंख्या को शामिल किया गया है जो वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्र कुरगल से लाभान्वित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र कुरगल जिसकी कुल जनसंख्या 364 है में से 62 की जनसंख्या को मिनी आंगनवाडी केन्द्र में सम्मिलित करने पर टकराणा की जनसंख्या मापदण्डों

के अनुरूप 302 हो जाएगी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आंगनवाड़ी केंन्द्र खोलने की जनसंख्या की शर्त को पूर्ण करता है। अतः आंगनवाड़ी केन्द्र टकराणा का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने बारे प्रस्ताव प्राप्त हो गया है जो कि अन्य प्रस्ताव के साथ सम्मिलित करके स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जाएगा क्योंकि आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही खोले जा सकते है।

(सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
(निदेशक,महिला एवं बाल विकास)

उक्त मद पर हुई चर्चा उपरांत मद को समाप्त कर दिया गया है

हिमाचल पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित मदें:

99. Restoration of Majthai –Shimla Local Bus

Repeated written representations as well as meeting the HRTC authorities in person during the past two years to address the demand of restoration of Majthai-Shimla Local Bus in Gram Panchayat Totu (Majthai) under Shimla Grameen Constituency did not yield any fruit as of now . Latest reference in this regard was made to the Hon'ble CM (Being the Local MLA) by the Pradhan , Gram Panchayat on 29th August , 2014 , requesting restoration of the above service from Bharyal at 8.20 AM instead of Majthai. Village Bharyal is one Km. Forward from Majthai. For the present only one Bus Service from Village Bharyal to Shimla starts at 8.45 AM. This service is quite inadequate to cater to the need of daily passengers which include employees , common people and School / College going students . With the granting of free travel facility to the students by the Government, the situation has become grimmer. This Local Bus Service may please be restored urgently.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

विभागीय उत्तरः–

The following bus services are plying in between Shimla-Majthai route in the morning from 8:15 AM to 9:00 AM as per detail given below:-

1. Neri-Shimla
2. Goyla-Shimla
3. Pattabrouri-Shimla
4. Metasher-Shimla
5. Shall Chanog-Shimla
6. Nalagarh-Shimla
7. Dhawanti-Shimla.

A bus service is also plying from Bharyal to Shimla via Majthai at 8:20 AM at present due to shortage of Conductors it is not possible to start a direct bus service from Majthai to Shimla, However, whenever the conductor will be recruited bus will be started.

(पथ परिवहन निगम)

मद पर हुई चर्चा में प्रबन्ध निदेशक, पथ परिवहन ने माननीय अध्यक्ष होदय को अश्वास दिया कि शिमला से मझठाई के लिए 01 मार्च 2016 से अतिरिक्त बस चलाई जायेगी।

100. सोलन से टिकरी टणांजी वाया शिल्ली, कुरगल,संवागांव के लिए प्रातः 8:00 बजे सोलन से एच0 आर0टी0 सी0 की बस चलाई जाए।

(श्री पलक राम कश्यप, सोलन)

विभागीय उत्तरः–

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पथ परिवहन को निर्देश दिए कि मामले में छानबीन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(पथ परिवहन निगम)

101. निजी बस नम्बर एच0 पी0 64–0264 गरूढ़ बस सेवा सांय 1:08 बजे सोलन से वाया शिल्ली, अश्वनी खड्ड, कुरगल, संवा गांव, गौड़ा को चलाने की अनुमति प्रदान की जाए।

(श्री पलक राम कश्यप, सोलन)

विभागीय उत्तरः–

परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया जाता है कि निजी बस संख्या एच0पी0 64–0264 का परमिट वाहन स्वामी के आवेदन पर ही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्वीकृति उपरान्त ही परिवर्तित किया जा सकता है यदि वाहन स्वामी रूट परिवर्तन के लिये आवेदन करता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(पथ परिवहन निगम)

चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास निमम से सम्बन्धित मदें:

102. Business loan/education loan to youth by the SC/ST Corporation.

To make the youth self reliant, low interest rate loan (@ 4%) be granted by the SC/ST Corporation. The brilliant students who cannot pursue their higher education due to poor financial condition of the family be granted interest free loans.

(Sh.Uttam Singh Kashyap Shimla)

103. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जन जाति विकास निगम से स्वीकृत किए जाने वाले ऋण को प्राप्त करने वाली प्रकिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए तथा एक लाख तक ऋण राशि की स्वीकृत हेतु जिला प्रबन्धक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए और एक लाख तक की ऋण राशि पर अधिकतम व्याज 4 प्रतिशत वार्षिक होना चाहिए तथा दण्डब्याज की कटौती करने से पूर्व

मूलधन की अदायगी की जानी चाहिए तदोपरान्त बिना चक्रवृद्धि ब्याज के दण्डब्याज की कटौती की जानी चाहिए। क्योंकि दण्ड ब्याज को चुकाने में मूलधन खड़ा रह जाता है।

(श्री केशव राम लोथटा,चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा 50,000/–रूपये तक के ऋण बैंकों के माध्यम से आसान शर्तो पर प्रदान किए जाते है। निगम के निदेशक मण्डल की बैठक में ऋण सीमा को 50,000/– रूपये से बढ़ाकर 1.00 लाख रूपये करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है तथा माननीय निदेशक मण्डल द्वारा इसे 50,000/– से बढ़ाकर 1.00 लाख रूपये के स्थान पर 2.00 लाख रूपये करने का अनुमोदन किया है। इस बारे आवश्यक प्रस्ताव निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश शिमला को पहले ही प्रेषित किया जा चुका है। ऋण सीमा का अनुमोदन प्राप्त होने उपरांन्त ही ऋण राशि स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास निगम)

चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

104. सभी राष्ट्रीकृत बैंकों को निर्देश जारी किए जाऐं कि निगम द्वारा बैंकों को प्रेषित किए गए ऋण प्रकरणों की पूरी राशि अनुदान सहित प्रार्थी को प्रस्तावित योजनानुसार एकमुश्त में आवंटित की जानी चाहिए क्योंकि आधी–अधूरी आवंटित राशि से प्रार्थी की योजना अधूरी रह जाती है जिसके फलस्वरूप प्रार्थी बैंक ऋण का दोषी बनने के साथ आय वर्धन की योजना भी अधूरी रह जाती है।

(श्री केशव राम लोथटा,चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंकों द्वारा समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त ही पात्र परिवारों के पक्ष में ऋण राशि नियमानुसार दी जाती है, क्योंकि बैंकों द्वारा वितरित ऋण की वसूली भी प्राप्त करनी होती है।

(अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जन जाति विकास निगम)

चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

105. विकास निगम द्वारा इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को देय अनुदान राशि 10,000/– रूपये से बढ़ाकर कुल लागत राशि का 33 प्रतिशत दिया जाना चाहिए ताकि वंचित वर्ग आय वर्धन योजना का लाभ उठा कर अपना आर्थिक स्तर उन्नत कर सकें। इसी क्रम में वर्ष 2014–15 प्रधिकृत को दी जाने वाले ऋण प्रकरणों का निर्धारित लक्ष्य दोगुना किया जाना चाहिए ताकि इच्छुक बेरोजगार युवक/युवती सुगमता से योजना का लाभ उठा सके।

(श्री केशव राम लोथटा, चौपाल)

विभागीय उत्तरः–

अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जन जाति विकास निगम से प्राप्त सूचनानुसार यह मामला भारत सरकार/प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है।

(अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जन जाति विकास निगम)

चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

106. अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति विकास निगम द्वारा ऋण पर ब्याज एवं दण्ड ब्याज को माफ करने व ऋण धारकों को **One time Settlement (OTS)** के आधार पर ऋण से मुक्त किया जाए।

(श्री आनन्द कुमार चौहान, सोलन)

विभागीय उत्तरः–

अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जन जाति विकास निगम से प्राप्त सूचनानुसार ऋण एवं दण्ड ब्याज One time settlement (OTS) को माफ करने सम्बन्धी मामला प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत दिया गया था जिसे प्रदेश सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

(अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जन जाति विकास निगम)

चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

कृषि विभाग / मार्केटिंग बोर्ड़ से सम्बन्धित मदें:

107. Construction of Subzi Mandi near Totu needs to be expedited .

Foundation Stone of Subzi Mandi near Totu in GP, Totu (Majthai) was laid by the Hon'ble Chief Minister on 29th August, 2014 . However, the execution work of the same has not been taken up as of now. The matter needs to be expedited keeping in view the larger public interest mainly the vegetable and flower growers of about 10 Panchayats. Latest status with regard to transfer of land and forest clearance of site for Subzi Mandi may please be intimated.

(श्री उतम सिंह कश्यप, शिमला)

विभागीय उत्तरः–

प्रस्तावित उप मण्डी वार्ड टूटू जिला शिमला के राजस्व कागजात राजस्व विभाग से प्राप्त करने उपरान्त वन विभाग को भूमि स्थानान्तरण हेतु भेजे जा चुके हैं। अतः जैसे ही भूमि का स्थानान्तरण हो जाता है मण्डी सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सम्बन्धित विभाग नवीनतम स्थिति से अवगत करवांऐं।

(कृषि विभाग)

मद पर हुई चर्चा में अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया है कि मामले में कुछ आप्पती Quay लगाई गई है जिसका निपटारा शीघ्र कर उत्तर भेज दिया जायेगा।

अतः उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

****

दिनांक 10 फरवरी 2016, को दोपहर 12:00 बजे, सम्मेलन कक्ष, हि0प्र0 सचिवालय शिमला में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश कोली कल्याण बोर्ड़ की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थितिः–

क्रमांक	नाम व पद	टेलीफोन/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री पी0 मित्रा मुख्य सचिव,हि0प्र0 सरकार		
2.	श्री अजय मितल, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार		
3.	श्री विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार		
4.	श्रीमती उपमा चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0 प्र0 सरकार	9805299000	
5.	श्री तरूण श्रीधर, अतिक्ति मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार		
6.	श्री वी0सी फारका अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार		
	बी0सी0 बालदी,		
7.	श्री पी0सी0 धीमान,अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार		
8.	श्री संजीव गुप्ता, अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार		
	श्रीमती मनीषा नंदा, अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार		
9.	श्री अकक्षय सूद विशेष सचिव, (वित्त) हि0प्र0 सरकार		
	श्रीमती प्रियंका वसू विशेष सचिव, लो0नि0वि0) हि0प्र0 सरकार		
10.	श्री ओंकार शर्मा सचिव,(ग्रा0विकास पं0 राज/युवा खेल सेवाऐ शिमला–9		
11.	सदीप भटनागर, निदेशक (अनु0जाति0 अन्य पिछड़ा वर्ग एव अल्पसंख्यक मामले हि0प्र0 शिमला–9		
12.	श्री संजीव भटनागर, विशेष सचिव, हिमाचल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग शिमला–9	9418083999	
13.	डा0 डी0एस0 गर्ग निदेशक,(स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण) हि0प्र0 शिमला–9		
14.	दिनकर बुराथोकी निदेशक, (उच्च शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–1	9459162782	
	डा0 सुनील चौधरी, निदेशक(भाषा एव सस्कृति) विशेष सचिव(भाषा एवं संस्कृति)	9418467676	
	डा0 शेखर मेस्सी, निदेशक,(पशुपालन) हि0प्र0		
	श्री सोम राज कालिया,		
15.	डा0 एच0 एस0 बवेजा, प्रबन्ध निदेशक H.P.SAMB (हि0प्र0)		
16.	श्री ए0सी0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प एवं हथकरधा निगम शिमला –9	9418033309	

17.	श्री विकास लाबरू,प्रबन्ध निदेशक हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित विकास निगम कांगड़ा	9418900032	
18.	श्री के0 आर0 सैहजल, उप सचिव,(लोक निमोण) हि0प्र0	948475720	
19.	श्री धनश्याम चन्द राज्य परियोजना निदेशक (युवा खेल सेवाऐं) यु0 एस0 कल्ब श्मिला–1	9418002410	
20.	श्री जितेन्द्र साजटा अतिरिक्त निदेशक,(उद्योग) हि0प्र0 शिमला–1	9418904587	
	श्री दिनेश मल्होत्रा, उपायुक्त शिमला हि0प्र0	941807724	
21.	श्री बी0सी0 बडवालिया उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन हि0प्र0	9418026165	
22.	श्रीमती एम0 सुंधा देवी, उपायुक्त चम्बा हि0प्र0	8894735555	
23.	श्री रीतेश चौहान, उपायुक्त कागडा	8894840001	
24.	श्री सदीप कदम, उपायुक्त मण्डी हि0प्र0	9418039998	
25.	श्री सजय शमो अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी	9418086486	
26.	श्री रूपाली ठाकुर अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर	9816020021	
27.	डा0 चन्द्र शमो ,अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर	9418479677	
28.	श्री राजेश कुमार अतिरिक्त उपायुक्त ऊना	9418025342	
29.	श्री पंकज शमो सहायक आयुक्त उपायुक्त किन्नौर	9418885883	
	श्री सजय शमो, अतिरिक्त उपायुक्त		
30.	श्री के0के0 इन्द्रा (आई0पी0एस0) डी0आई0जी0 आई पी एच0 एस0 शिमला	9418885883	
31.	श्री ऐ0के0 अहुजा संयुक्त निदेशक,(तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–9	9418009507	
32.	श्री रोबिन जोजे संयुक्त निदेशक(प्रशासन), अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
33.	श्री ए0सी0 चौहान,सयुक्त निदेशक(कल्याण), अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0		

	शिमला–9		
34.	अजय वर्मा, सहायक नियन्त्रक,वित एवं लेखे) अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
35.	श्री रमेश गगोतरी,उप निदेशक,खाद्यय आपूर्ति एवं उपभोगता मामले शिमला		
36.	श्री कृष्ण शर्मा, उप निदेशेक(रोजगार) हि0प्र0 शिमला–1		
37.	श्री राजेन्द्र शर्मा, उप निदेशक, आयुर्वेदा		
38.	श्रीमती सुमन रावत, सयुक्त निदेशक,(खेल सेवाऐं) शिमला–1	9418461098	
39.	श्री सुरिन्द्र कुमार अवर सचिव (सामन्य प्रशासन)		
40.	श्री एम0 एल0 शर्मा,उप निदेशक,(अनु0जाति उप यो0)अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
41.	श्री आर0 एस0 गुलेरिया, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास शिमला–1	9418014279	
42.	श्री ऐ0जे0 डोगरा, जिला कल्याण अधिकारी(मु0) अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
43.	श्री प्रताप सिंह नैगी,जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू प्रतिनिधि उपायुक्त कुल्लू	9418343667	
44.	श्री शिवान्द शर्मा, जिला महा प्रबन्धक, अनु0 जाति/जन जाति विकास निगम एवं हि0प्र0महिला विकास निगम सोलन जिला सोलन	9418465582	
	श्री अशोक तिवारी, प्रबन्ध निदेशक,	9418000525	
45.	श्री भगत सिंह ठाकुर (ए0आई0जी0) टी0टी0आर0	9418085111	
46.	कवर भानू प्रताप सिंह, सी0ई0ओ0 हिम ऊर्जा शिमला–9	9416055513	
47.	श्री मनीश पंडित, प्रेस सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश	9418021112	
48.	इं0विजय,डोगरा,प्रमुख अभियन्नता(पी0 एण्ड एम0) हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड़ शिमला–4	9418055099	
49.	श्री नरेश शर्मा अनुसधान अधिकारी, हिम ऊर्जा शिमला–9	9816068540	
50.	इं0 राकेश गुप्ता प्रमुख अभियन्ता (हि0प्र0 लो0नि0वि0) शिमला–2	0177–2621401	
51.	श्री अशोक चौहान प्रमुख अभियन्ता(हि0प्र0 लो0नि0वि0) शिमला–2	9418014973	
52	श्री सुरेश कुमार गंजू, मुख्य अभियन्ता (हि0प्र0 लो0नि0वि0) धर्मशाला जिला कांगड़ा	9418094909	

53.	श्री अजय गुप्ता अधिक्षण अभियन्ता(डब्लयु0) विद्युत शिमला	9418061404	
54	श्री आर0के0 कंवर मुख्य अभियन्ता (सिचाइं एवं जन स्वास्थ्य)शिमला–1	9418086559	
55.	श्री चजर सिह, अधिक्षण अभियन्ता (कार्य) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता यु0एस0 कल्ब शिमला–1		
56.	श्री यश्वन्त सिह,राहठौर,तहसीलदार जिला भू अभिलेख	9418021493	
57.	श्री धर्मो नन्द एस0एन0आर0 मंडी	9418202802	